दैनिक देवव्रत
www.dainikdevvrat.in
आजमगढ़, उ.प्र.
वर्ष 35, अंक 200
पृष्ठ 08, मूल्य 3.00
18 अप्रैल 2026, शनिवार
लखनऊ, नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र (राबर्ट्सगंज, अनपरा, शक्तिनगर), सिंगरौली, मिर्जापुर, अयोध्या, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, अम्बेडकरनगर एवं आजमगढ़ से प्रसारित
E-mail : dainikdevvrat@gmail.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में खारिज, मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पास कराने में नाकाम

❑ सरकार के पक्ष 298 विरोध में 230 सांसदों ने किया मतदान

❑ मुख्य संवैधानिक बिल के गिरने के बाद दो बिल लिए वापस

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। महिला आरक्षण पर संविधान संशोधन बिल गिर गया। यानी लोकसभा ने इस बिल को सिरे से नकार दिया। यह मोदी सरकार के 12 साल के शासन में पहली बार हुआ है जब कोई संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। मोदी सरकार के लिए संसद में हाल के समय में यह बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष को महिला आरक्षण विरोधी बताकर इसका राजनीतिक फायदा उठाएगी।

मोदी सरकार द्वारा लाये गये इस विधेयक पर जब वोटिंग हुई तो 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ़ वोट किया। सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए को इस बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई वोट चाहिए थे लेकिन उसे वो संख्या नहीं मिल पाई। और ज़रूरी वोट नहीं मिलने का मतलब ही था कि लोकसभा में शुक्रवार शाम को महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संवैधानिक (131वें संशोधन) बिल 2026 को गिरना था। यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक–तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता था। सरकार ने इसे जल्द लागू करने के लिए तीन बिल लाए थे, लेकिन मुख्य संवैधानिक संशोधन बिल के गिरने के बाद बाकी दो बिल भी आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। इस बिल पर दो दिन तक लंबी बहस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चेतावनी दी कि देश की महिलाएं उनके इरादों को देख रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक देने का समय आ गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा था, सरकार ने बिल से जुड़ी सभी आशंकाओं और गलतफहमियों को तथ्यों और तर्क से दूर कर दिया है। करीब चार दशक से महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा लंबित था। अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को फैसले लेने में अपना हक मिले। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि

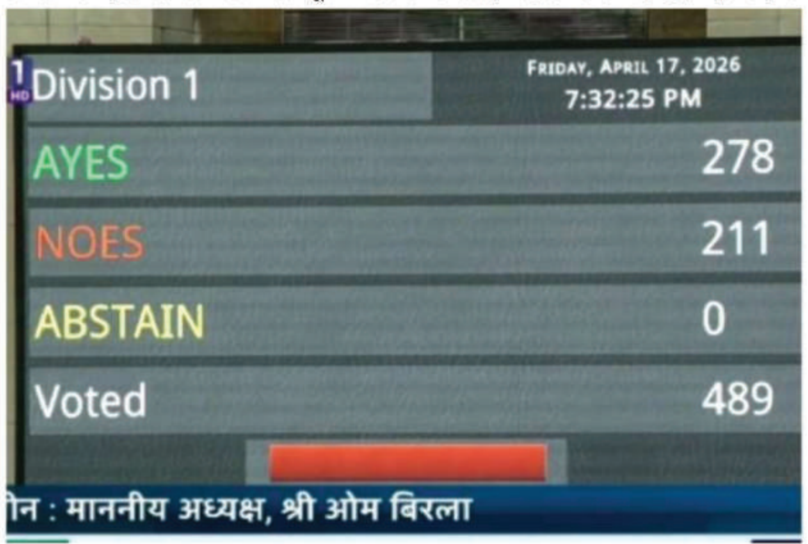

वे संवेदनशील फैसला लें और बिल के पक्ष में वोट करें। मोदी ने कहा था, "नारी शक्ति की ओर से मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कुछ भी ऐसा न करें जो देश की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। करोड़ों महिलाएं हमें देख रही हैं... हमारे इरादे और फैसले देख रही हैं। विपक्ष ने बिल का विरोध किया और कहा कि सरकार महिलाओं के आरक्षण के नाम पर सीमा पुनर्निर्धारण कराना चाहती है। उनका आरोप था कि इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा और चुनावी नक्शा बदला जाएगा। विपक्ष ने कहा कि सीमा पुनर्निर्धारण को टालना चाहिए।

महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर महिलाओं की आड़ में देश के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप देश की राजनीति में अपनी घटती ताकत से डर गए हैं और इसलिए चुनावी नक्शे को फिर से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने असम और जम्मू–कश्मीर में ऐसा किया और अब पूरे देश में ऐसा करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए आपको संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक (131वां संशोधन) बिल 2026, 2023 के महिलाओं के आरक्षण कानून को बदलने वाला था। 2023 का कानून लोकसभा और विधानसभाओं में 33ः महिलाओं को आरक्षण देता है, लेकिन उसे जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद लागू करने की शर्त थी। नया बिल इसे जल्द लागू करने और लोकसभा की सीटें बढ़ाकर लगभग 850 तक करने का प्रावधान करता था, ताकि आरक्षण बिना किसी सीट घटाए दिया जा सके। इसमें यह भी प्रावधान था कि नई जनगणना के बिना ही पुरानी जनगणना के आधार पर सीटों की नई सीमा तय कर दी जाए।

सरकार ने अंतिम समय तक विपक्ष को मनाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य दलों से संपर्क किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं के आरक्षण को रोकने के लिए बहाने बना रहे हैं। एनडीए के एक नेता ने बताया कि अब रणनीति यह है कि बिल हारने दो और खुद को महिलाओं के अधिकारों का शहीद बताओ। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33ः सीटें मिलनी हैं। लेकिन बिना नई जनगणना के यह आरक्षण कब और कैसे लागू होगा, यह अभी अनिश्चित है। विपक्ष का तर्क है कि नई जनगणना के बाद ही सीटें बढ़ाई जाएं और आरक्षण लागू हो, ताकि सभी वर्गों का सही प्रतिनिधित्व हो सके। अभी यह साफ़ नहीं है कि सरकार इस बिल को दोबारा कब और कैसे सदन में लाएगी। तीन दिन की विशेष बैठक में यह पहला बड़ा विधेयक था जो पास नहीं हो सका। सरकार ने कहा कि अब बिल गिरने के बाद वे जनता के बीच जाएंगे और विपक्ष को जवाबदेह ठहराएंगे। यह मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। 2023 में बिल पास हुआ था, लेकिन लागू नहीं हो सका।

48 दिन बाद खुला होर्मुज

वाणिज्यिक जहाजों को आने–जाने की मिली छूट, ईरान ने किया एलान

तेहरान, 17 अप्रैल (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। पश्चिम एशिया में चल रहे भू–राजनीतिक तनाव और 48 दिनों से जारी अनिश्चितता के बाद आखिरकार होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। ईरान ने घोषणा की है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से अब वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से खुली रहेगी और उन्हें आने–जाने की पूर्ण छूट दी गई है। यह कदम लेबनान में सीजफायर लागू होने के बाद उठाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा कि लेबनान में सीजफायर समझौते के अनुरूप होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह खोल दिया गया है। विदेश मंत्री के अनुसार,

यह निर्णय सीजफायर अवधि के शेष समय के लिए लागू रहेगा और पहले से घोषित समन्वित मार्ग के तहत सभी व्यापारिक जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यह मार्ग ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ईरान ने अभी घोषणा की है कि ईरान का जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और पूरी तरह से गुजरने के लिए तैयार है। धन्यवाद!

विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा–अमित शाह

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा से महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक के गिरने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा श्आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है।

उन्होंने लिखा अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण, जो उनका अधिकार था, वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार

नहीं किया, बल्कि बार–बार किया है। उनकी यह सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को 'महिलाओं का आक्रोश' न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा।

महिला आरक्षण की आड़ में भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की थी भाजपा की कोशिश-राहुल गांधी

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। लोकसभा में शुक्रवार (17 अप्रैल) को महिलाओं के लिए आरक्षण कानून में संशोधन और नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पेश किए गए तीन अहम बिलों पर चर्चा जारी रही. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने की योजना है और इसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जोड़ा गया है।

संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने और सत्ता में बने रहने के लिए महिला आरक्षण को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संविधान संशोधन बिल का महिलाओं के लिए आरक्षण से कोई लेना–देना नहीं है. बल्कि, यह सरकार की एक ऐसी कोशिश है जिसके ज़रिए वह दक्षिणी, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व छीनकर देश का चुनावी नक्शा बदलना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, 'यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है। इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना–देना नहीं है. एक विधेयक 2023 में पहले ही पारित किया जा चुका है।' उन्होंने आरोप लगाया, 'यह भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश है।' उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार महिलाओं के आरक्षण वाला विधेयक लाती, तो विपक्ष के नेता उसका समर्थन करते। उन्होंने कहा, 'उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षण देने के बजाय जो कि करना बहुत आसान है और जिसका अभी हर

विपक्षी सदस्य समर्थन करेगा दृ उस पुराने बिल को अभी वापस ले आइए। हम उसे पास करवाने में आपकी मदद करेंगे, ताकि इसी पल से उसे लागू किया जा सके. वह तो 'महिला बिल' है, और यह कुछ और ही है। राहुल गांधी ने सरकार के रवैये को गलत बताते हुए कहा कि पूरा विपक्ष इस कदम का विरोध करेगा। उन्होंने कहा, 'सरकार जो कर रही है, वह एक देश–विरोधी काम के बराबर है। हम इसे पास नहीं होने देंगे दृ पूरा विपक्ष इसे हराने के लिए एकजुट होकर खड़ा होगा।' उन्होंने केंद्र पर यह भी आरोप लगाया कि वह निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के ज़रिए ओबीसी और दलितों की राजनीतिक आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिनिधित्व और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच संबंध को कमजोर कर रही है। गांधी ने कहा, 'सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगले 15 वर्षों तक जातिगत जनगणना का प्रतिनिधित्व से कोई संबंध न रहे.' उन्होंने यह भी कहा कि सरकार दक्षिण भारत से प्रतिनिधित्व छीनने जा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के अनुसार, लोकसभा सीटों का विस्तार और परिसीमन प्रक्रिया को महिलाओं के आरक्षण से जोड़ा जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि प्रतिनिधित्व को सीधे जनसंख्या के आधार पर तय किया गया, तो इससे उन क्षेत्रों को अधिक सीटें मिलेंगी जहां जनसंख्या अधिक है दृ और जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपेक्षाकृत ज्यादा समर्थन मिलता है। इसी वजह से विपक्ष इस प्रस्ताव का जोर–शोर से विरोध कर रहा है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम बता रहा है।

भाजपा लिख कर दे कि महिला पीएम बनायेंगे तब भी इन पर भरोसा नहीं कर सकते-अखिलेश यादव

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया। शुक्रवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में हुए वोटिंग में सरकार को दो तिहाई बहुमत नहीं मिला। इस पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारा पक्ष तो उसको हमने बिल्कुल साफ रखा है. लगता तो है कि गाड़ी थमी रह गई, लगता है कोशिश में कोई कमी रह गई होगी. हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में उनको जो स्थान मिलना चाहिए उसके हम पक्ष में हैं। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने आगे कहा, ष्समाजवादी पार्टी या विपक्ष में किसी ने भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। लेकिन उसके साथ जो महिलाओं के हक–अधिकार का जो हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा विपक्ष ने ऐसी खींची कि वो उस रेखा के बाहर नहीं आ पाए. वहीं अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, इनकी फ़रेबी गाड़ी फिर से थमी ही रह गयी। अब कहेंगे हमारी कोशिशों में कमी रह गयी। अखिलेश यादव– बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी इन पर भरोसा नहीं कर सकते और न ही समर्थन करेंगे। परिसीमन, संविधान संशोधन और महिला आरक्षण विधेयकों पर चर्चा के दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा दावा कर दिया जिसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि ये वोट नहीं करेंगे तो बिल पास नहीं हो पाएगा। लोकसभा में तीन विधेयकों पर चर्चा के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि मानों

सहमति बन गई है लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने सदन का पूरा माहौल बदल दिया। दरअसल, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष बताए क्या बिल पारित करने के लिए सहमत हो? सरकार 50% सीट बढ़ाने के लिए तैयार है। 1 घंटा दीजिए हम संशोधन कराने के लिए तैयार हैं। हमें 50 प्रतिशत सीट बढ़ानी ही हैं। हमें कोई चोरी नहीं करनी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार लिखकर दे कि सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ेंगी और 2026 के जनगणना के आधार पर परिसीमन होहा. इसके जवाब में शाह ने कहा कि हम लिखकर देने को तैयार हैं कि सीटें 50 फीसदी बढ़ेंगी लेकिन हम 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के मांग के झांसे में नहीं आने वाले। इसके बाद कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि 11 साल के जो अनुभव रहे, अगर बीजेपी ये लिख कर दे देगी कि हम महिला पीएम बनाएंगे तब भी इनका भरोसा नहीं करेंगे। अखिलेश के इस जवाब के बाद गृह मंत्री ने कहा कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण बिल गिर जाएगा लेकिन इस देश की महिलाएं देख रही है कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है? चुनाव में माताएं हिसाब मांगेगी, भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। शाह ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण के नाम पर भी भ्रम फैला रहा है भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है।

वाराणसी में अंबेडकर का पोस्टर जलाने पर भारी बवाल, एसीपी का फटा सिर

वाराणसी, 17 अप्रैल (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने बल प्रयोग करके ग्रामीणों को खदेड़ दिया है। घटना की जानकारी होने के बाद कई थानों की फोर्स और डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

बताया जा रहा कि अंबेडकर जयंती के दिन दलित समाज के लोगों ने बटुक भैरवनाथ मंदिर के गेट पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का झंडा लगा दिया था। इसके बाद अगले दिन ग्रामीणों को जानकारी हुई कि भगवा झंडा हटा दिया गया है। जानकारी होने के बाद आक्रोश फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची ने हालात को संभाला।

इस दौरान पुलिस ने दोबारा से भगवा झंडा लगवा दिया जिसके बाद वहां हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और गेट पर अंबेडकर का झंडा लगाए जाने का विरोध जताया। पुलिस ने झंडा हटवा कर मामले को शांत करवा दिया। इसी बीच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने की अफवाह भी फैला दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। इस घटना के बाद शुक्रवार की सुबह दलित समाज के लोग इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। लोगों की मांग थी कि गेट पर वापस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ध्वज स्थापित किया जाए। घटना की जानकारी होने के बाद चोलापुर समेत कई थानों की फोर्स और एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना भी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान दलित समाज के लोग नारेबाजी करने लगे और आक्रोषित हो उठे। बताया जा रहा है कि दलित समाज की तरफ से पुलिस पर पथराव कर दिया गया, जिसमें एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं, मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई स्थानों की फोर्स और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं।

'देवव्रत' हिन्दी दैनिक आजमगढ़

' महिला सम्मान '

जैसे कृषकों को मिला,
डबल आय का दान ।
मणिपुर की सौगंध अब,
वैसा ही सम्मान ।
मिलेगा हर महिला को ।

धीरू भाई का दो टूक
18 अप्रैल 2026

डगआउट में फोन का इस्तेमाल पड़ा भारी राजस्थान के मैनेजर पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें आधिकारिक चेतावनी दी गई है। यह कार्रवाई 10 अप्रैल को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच के दौरान डगआउट के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की भ्रष्टाचार–रोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने मैच के दौरान डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर भिंडर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और अगले 48 घंटों के भीतर उनसे जवाब मांगा था। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि भ्रष्टाचार–रोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) भिंडर की सफाई से संतुष्ट नहीं थी, जिसके चलते उन पर जुर्माना लगाया गया और इस उल्लंघन के लिए उन्हें चेतावनी दी गई। देवजीत सैकिया ने आईएएनएस को बताया, 'यह उल्लंघन राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच में हुआ था, जहां गुवाहाटी में हमारी भ्रष्टाचार–रोधी इकाई ने इस उल्लंघन पर संज्ञान लिया और 12 अप्रैल को उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया। उन्हें जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था, क्योंकि रोमी भिंडर को डगआउट क्षेत्र में अपना मोबाइल ले जाते हुए देखा गया था। वह अपने हाथ में मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन उसे डगआउट क्षेत्र में नहीं ले जा सकते। इसी कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और रोमी भिंडर ने निर्धारित 48 घंटों के भीतर जवाब दिया। भ्रष्टाचार–रोधी इकाई ने उनके जवाब की जांच की और उसे संतोषजनक नहीं पाया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा बी.एड सत्र 2020–2022 पंजीकरण सं. पीयू 14/1515073 व अनुक्रमांक 21301191420 का चारो अंक व प्रमाण पत्र वास्तव में खो गया है। **अर्चना यादव** पुत्री स्व. रामाधार यादव निवासी ग्राम चकभाईखां पोस्ट चकईनामी थाना सिधारी तहसील सदर जनपद आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ZAKARIYA MOHAMMAD JUNED था जिसे बदलकर मैंने MOHD ZAKARIYA कर लिया है। भविष्य में मुझे MOHD ZAKARIYA नाम से जाना, पहचाना जाए। MOHD ZAKARIYA पुत्र मो. जुनैद (MOHD JUNED) निवासी गुलवा गौरी पोस्ट विन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारदार उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
बअदालत सिविल जज (जू.डि.)
सदर मऊ, जनपद मऊ
वाद सं. 2549/2024

राजेश उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र सन्तू साकिन इन्दारा अहिरपुरा पोस्ट इन्दारा परगना घोसी तहसील सदर जनपद मऊ। —वादी

बनाम

हरिशंकर उम्र करीब 68 वर्ष पुत्र सुखदेव 2. ओमप्रकाश उम्र करीब 35 वर्ष 3. मुरलीधर उम्र करीब 32 वर्ष 4. जयप्रकाश उम्र करीब 28 वर्ष पुत्रगण हरिशंकर समस्त साकिनान इन्दारा अहिरपुरा पोस्ट इन्दारा परगना घोसी तहसील सदर जनपद मऊ। —प्रतिवादीगण

हरगाह ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 02 माह 05 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमा के हालत से करार वाकई वाकिफ हो और कुल उमरान अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके, जिसके साथ कोई शख्स हो जो कि जवाब ऐसे सवालात की दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा करे और आपको लाजिम है कि इसी रोज जुमला दस्तावेज को पेश करे। आप बताईद अपने जवाबदेही के इस्तदलाल करना चाहते हों। आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर तारीख 02–05–2026 तनकीह पर हाजिर न होंगे तो मुकदमा गैरहाजिरी आपके मजमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मुहर अदालत के आज बतारिख 00 माह 00 सन् 2026 ई0 जारी किया गया।

—आज्ञा से
सिविल जज (जू.डि.) सदर मऊ, जनपद मऊ

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी सगड़ी, आजमगढ़
धारा 134 उप्ररासं 2006 मौजा मुहम्मदपुर जमीन मुहम्मदपुर

बृजेश आदि बनाम सुराली

बनाम– सुराली पुत्र कैलाश साकिन मुहम्मदपुर जमीन मुहम्मदपुर परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ 2. गांवसभा बजरिये प्रधान ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर जमीन मुहम्मदपुर परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 22 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 00 माह 00 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी
(न्यायिक) सगड़ी, आजमगढ़
न.मु. टी 202515060716054 (तजबीजसानी)
धारा 21/24 उप्ररासं 2006 मौजा सिरही

सूबेदार बनाम दीपक आदि

बनाम– सूबेदार पुत्र पतेली साकिन सिरही परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादी

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 24 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 00 माह 00 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

फोन नं. 05463-235020, फैक्स नं.-05463-235194,
वेबसाइट-www.gmcazamgarh.com

संख्या–49/रा.मे.का.आ./ई.सी.–4/विज्ञप्ति/2026 दिनांक 10.04.2026

सेवायोजन विज्ञप्ति

संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के पदों पर साक्षात्कार (**Walk-in-interview**) के माध्यम से सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के विभिन्न विभागों में एन०एम०सी० मानक, पी०जी० यू०जी० पाठ्यक्रम एवं रोगीहित के दृष्टिगत फैकल्टी के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु साक्षात्कार (Walk-in-interview) प्रत्येक मंगलवार को राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे के मध्य निर्धारित किया गया है। विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या एवं लागू आरक्षण रोस्टर निम्नवत् है–

क्र0सं0	विशिष्टता का नाम	आचार्य	श्रेणी	सह आचार्य	श्रेणी	सहायक आचार्य	श्रेणी
1	फिजियोलॉजी	01	SC	—	—	—	—
2	बायोकेमेस्ट्री	01	GEN	—	—	01 (MD बायोकेमस्ट्री)	OBC
3	पैथोलॉजी	01	OBC	01	SC	—	—
4	फारेंसिक मेडिसिन	01	GEN	—	–	01	GEN
5	कम्युनिटी मेडिसिन	—	—	01	OBC	01	GEN
6	टी.बी. एण्ड चेस्ट	—	—	01	SC	—	—
7	मानसिक रोग	—	—	01	GEN	—	—
8	सामान्य सर्जरी	01	OBC	02	GEN OBC	—	—
9	आर्थोपेडिक्स	01	GEN	—	—	—	—
10	आप्थलमोलॉजी	01	GEN	—	—	—	—
11	आब्स एण्ड गायनी	01	OBC	01	SC	—	—
12	एनेस्थीसिया	—	—	01	EWS	01	SC
13	रेडियोडायग्नोसिस	01	EWS	01	GEN	—	—
14	ब्लड बैंक	01	SC	01	OBC	01	OBC
15	इमरजेन्सी मेडिसिन	01	GEN	01	GEN	02	EWS SC
16	माइकोबायोलॉजी	01	OBC	—	—	01 (MD माइकोबायोलॉजी)	GEN

नोट–पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

नियुक्ति संबंधी समस्त शर्ते कालेज की वेबसाईट www.gmcazamgarh.com एवं महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन लखनऊ की वेबसाइट www.updgme पर प्रदर्शित है।

सं0 उ0प्र0 249954 दिनांक 16.04.2026

यह विज्ञापन Website : www.up.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारदार उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
बअदालत मोटर वाहन दुर्घटना दावा
न्यायाधिकरण, जनपद मऊ
एम.ए.सी.पी. नं. 210/2025

मदन राम उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र स्व. जंगली राम जरिये वाद मित्र रूगदी देवी उम्र करीब 66 वर्ष पत्नी मदन राम साकिन ग्राम व पोस्ट मटेहू थाना मरदह तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर। —याची

बनाम

पेशकार चौहान पुत्र कपिलदेव चौहान साकिन ग्राम जमालपुर बुलन्द पहसा पोस्ट पहसा थाना हलधरपुर तहसील सदर जनपद मऊ मूल निवासी कासिमाबाद सोनबरसा पोस्ट व थाना व तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर वाहन स्वामी वाहन सं. यू.पी. 54 ए.एक्स. 7106 मोटर साइकिल 2. दिलीप चौहान पुत्र अमरजीत चौहान ग्राम टिसौरी पोस्ट गाई थाना मरदह जनपद गाजीपुर वाहन चालक वाहन सं. यू.पी. 54 ए.एक्स. 7106 मोटर साइकिल 3. बजाज अलियान्ज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड तृतीय तल नरायन बिल्डिंग शाहनजफरोड हजरतगंज लखनऊ–226001 बीमाकर्ता वाहन संख्या सं. यू.पी. 54 ए.एक्स. 7106 मोटर साइकिल। —विपक्षीगण

हरगाह ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 25 माह 05 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमा के हालत से करार वाकई वाकिफ हो और कुल उमरान अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके, जिसके साथ कोई शख्स हो जो कि जवाब ऐसे सवालात की दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा करे और आपको लाजिम है कि इसी रोज जुमला दस्तावेज को पेश करे। आप बताईद अपने जवाबदेही के इस्तदलाल करना चाहते हों। आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर तारीख 25–05–2026 तनकीह पर हाजिर न होंगे तो मुकदमा गैरहाजिरी आपके मजमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मुहर अदालत के आज बतारिख 00 माह 00 सन् 2026 ई0 जारी किया गया।

—आज्ञा से
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जनपद मऊ

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी
(न्यायिक) सगड़ी, आजमगढ़
मु.नं. टी 202515060706518
धारा 24 उप्ररासं 2006 मौजा बगवार

किशुनचन्द्र बनाम न.पा.प. बिलरियागंज आदि

बनाम–नगर पालिका परिषद बिलरियागंज द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मौजा बगवार परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ 2. अशोक यादव 3. रविन्द्र यादव 4. रामकृति यादव 5. शेषनाथ यादव 6. शोभनाथ यादव पुत्रगण प्रभुनाथ 7. कान्ति देवी पत्नी हृदय नरायन 8. विशाल पुत्र हृदय नरायन 9. विजयबहादुर 10. विधि नारायण पुत्रगण सतिराम 11. सुनरी पत्नी सतिराम 12. गुफ्ती 13. मुनीब पुत्रगण रामकेर 14. हरिराम पुत्र चन्द्रदेव 15. श्याम बिहारी पुत्र घमण्डी 16. दिनेश पुत्र रामअवध 17. मनराजी पत्नी रामअवध 18. साईनिल पुत्र रमेश 19. शीला पत्नी रमेश 20. जगदीश 21. अमरजीत 22. इन्द्रजीत पुत्रगण पतिराम 23. चनवती पत्नी स्व. पतिराम 24. सविता पत्नी मेवालाल 25. विजय नरायन 26. हृदयनरायन पुत्रगण मुखराम 27. करमी देवी पत्नी मुखराम साकिनान बगवार परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 21 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 15 माह 04 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत अपर जिलाधिकारी
(वित्त व राजस्व), आजमगढ़
वाद सं. डी 202515060004215
धारा 30 (2) उप्ररासं 2006 मौजा उचहुवां

दूधनाथ बनाम राकेश आदि

बनाम– राकेश पुत्र रामलखन 2. विकाश कुमार पुत्र अरविन्द 3. विनीता पत्नी अरविन्द 4. रामाश्रय 5. कमलेश पुत्रगण रामनाथ 6. प्रभावती पत्नी रामनाथ 7. बालजीत 8. रामप्रवेश पुत्रगण देवनाथ 9. फुलवासी पत्नी देवनाथ साकिनान उचहुवां परगना बेलहाबास तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 10. गांवसभा बजरिये प्रधान ग्राम पंचायत उचहुवां परगना बेलहाबास तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 11. उ.प्र. सरकार बजरिये जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 21 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 00 माह 00 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर, आजमगढ़
वाद सं. टी 20241506060641
धारा 38 (1) उप्ररासं 2006

दयाशंकर 2. रमाशंकर 3. विद्याशंकर पुत्रगण रामहृदय साकिनान शाहपुर चगौना परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़। —वादीगण

बनाम

गांवसभा बजरिये प्रधान ग्राम पंचायत शाहपुर चगौना परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ 2. मुन्नी देवी पत्नी निरधुन साकिन विशुनपुरा परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 18 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 00 माह 00 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर, आजमगढ़
धारा 116 उप्ररासं 2006

श्रीमती आशा पत्नी अपरवल साकिन कवीरूद्दीनपुर परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़। —वादिनी

बनाम

कलावती पत्नी रामप्रताप 2. विनोद पुत्र रामप्रताप 3. गीता सिंह पत्नी महातम 4. धनपाल सिंह 5. विजयपाल सिंह पुत्रगण महातम साकिनान शेखपुरा परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ 6. सरस्वती पत्नी शेषनाथ 7. चन्द्रजीत 8. सूर्यजीत 9. अमरजीत पुत्रगण पलकधारी साकिनान धौरहरा परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ 10. गांवसभा बजरिये प्रधान ग्राम पंचायत धौरहरा परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 21 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 00 माह 00 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

हेतु संदर्शित करने की सूचना
(साधारण प्रारूप)
न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)
कोर्ट नं. 29, आजमगढ़
इजरा सं. 61/2025

महफूज वैश आदि बनाम खालिद वैश आदि

बनाम– खालिद औवैश पुत्र मसूद वैश 2. उमर ओवैश पुत्र सुहैल वैश साकिन मोहल्ला कुन्दीगढ़ टोला परगना निजामाबाद तहसील सदर जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतएव आपको एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप उक्त आवेदन के खिलाफ हेतु संदर्शित करने के लिए 2026 के 05 के 11 दिवस 10 बजे प्रातः स्वयं या सम्यकरूपेण अनुदिस्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजात हों और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एकपक्षीय रूप से सुना जायेगा और अवधारित किया जायेगा।

11.05.2026 आपत्ति/निस्तारण

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज 20 के के दिवस को निकाली गयी। आज्ञा से–
सिविल जज (जू.डि.) कोर्ट नं. 29, आजमगढ़

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी निजामाबाद, आजमगढ़
धारा 116 उप्ररासं 2006 मौजा मिर्जापुर

उजेर अहमद बनाम एहतेशाम

बनाम–एहतेशाम 2. तबरेज 3. सुलेमान पुत्रगण जुबेर अहमद 4. हुस्नआरा पत्नी जुबेर अहमद 5. अतीक अहमद पुत्र इरसाद अहमद 6. दासी देवी पत्नी रामलवट साकिनान मिर्जापुर तप्पा दुबैठा परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 21 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 15 माह 04 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम महताब था जिसे बदलकर मैंने महताब अहमद कर लिया है। भविष्य में मुझे **महताब अहमद** नाम से जाना, पहचाना जाए। महताब अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी मुहल्ला हरिवंश नगर पोस्ट व थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी निजामाबाद, आजमगढ़
धारा 116 उप्ररासं 2006 मौजा मिर्जापुर

उजेर अहमद बनाम लईक

बनाम–एहतेशाम 2. तबरेज 3. सुलेमान पुत्रगण जुबेर अहमद 4. हुस्नआरा पत्नी जुबेर अहमद 5. अब्दुलवारी पुत्र जफर अहमद 6. मिर्जा अबुजैद पुत्र शौकत साकिनान मिर्जापुर तप्पा दुबैठा परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 7. मोहम्मद शाहनवाज पुत्र बदरे आलम साकिन बस्ती चकगुलरा तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ 8. गांवसभा बजरिये प्रधान ग्राम पंचायत मिर्जापुर तप्पा दुबैठा परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 21 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 15 माह 04 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत मुख्य राजस्व अधिकारी, आजमगढ़
धारा 30 (2) उप्ररासं 2006

रामनयन बनाम टनकू

बनाम–श्यामदुलारे पुत्र छत्तन साकिन जलालपुर परगना गोपालपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादी

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 30 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 02 माह 04 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी सदर, आजमगढ़
धारा 35 (2) उप्ररासं 2006 मौजा हथौटा

राजेश कुमार
बनाम
तहसीलदार (न्यायिक) सदर आदि

बनाम–राजेश कुमार 2. दिनेश कुमार 3. महेश कुमार पुत्रगण निठुरी साकिनान हथौटा परगना चिरैयाकोट तहसील सदर जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 23 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 16 माह 04 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी
(न्यायिक) सदर, आजमगढ़
धारा 35 (2) उप्ररासं 2006 मौजा कटेहरी

करूणाकान्त 2. श्रीकान्त पुत्रगण साकिनान कटेहरी परगना करितातमित्तू तहसील सदर जनपद आजमगढ़। —वादीगण

बनाम
तहसीलदार सदर

3. वरूणाकान्त 4. रविकान्त 5. लक्ष्मीकान्त पुत्रगण रामबचन साकिनान कटेहरी परगना करितातमित्तू तहसील सदर जनपद आजमगढ़ 6. गांवसभा बजरिये प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम पंचायत कटेहरी परगना करितातमित्तू तहसील सदर जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 18 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 16 माह 04 सन् 2026 ई0 जारी किया गया।—आज्ञा से हाकिम

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कंचनपुर जनपद आजमगढ़ से सिरियल नं. 0248547 का बाण्ड लिया था जिसमें मेरा नाम मन्टू पुत्र मन्नू दर्ज हो गया है, जो गलत है। जबकि मेरा सही नाम **मिंटू पुत्र मन्नी राम** निवासी ग्राम उचंहुआ पोस्ट मेंहनगर तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़ है। दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति यानि मेरा ही है। यही नाम मेरे आधारकार्ड सं. 486102642757 सहित अन्य अभिलेखों में दर्ज है। इसे सुधारा जाये।

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी
(न्यायिक) मेंहनगर, आजमगढ़
धारा 20/21 उप्ररासं 2006 मौजा गौरा

त्रिभुवन सिंह पुत्र सूर्य कुमार सिंह साकिन गौरा परगना बेलादौलताबाद तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़। —वादी

बनाम

गांवसभा बजरिये प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम पंचायत गौरा परगना बेलादौलताबाद तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 2. तिजिया पत्नी मूलचन्द 2. श्रीराम दत्तक पुत्र विश्राम साकिनान गौरा परगना बेलादौलताबाद तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 20 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 02 माह 04 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी मेंहनगर, आजमगढ़
धारा 20/21 उप्ररासं 2006 मौजा गौरा

त्रिभुवन सिंह पुत्र सूर्य कुमार सिंह साकिन गौरा परगना बेलादौलताबाद तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़। —वादी

बनाम

गांवसभा बजरिये प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम पंचायत गौरा परगना बेलादौलताबाद तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 2. राजेन्द्र पुत्र लोचन साकिन गौरा परगना बेलादौलताबाद तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 20 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 04 माह 04 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वगरज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाविता दीवानी सन् 1908)
बअदालत उपजिलाधिकारी निजामाबाद, आजमगढ़
धारा 116 उप्ररासं 2006 मौजा तिलहुआ

लल्लन बनाम नीरज आदि

बनाम– नीरज 2. मनोज पुत्रगण रामउग्रह 3. विनोद पुत्र वासदेव 4. प्रवेश 5. शैलेश पुत्रगण राजेश 6. सुनीता पत्नी राजेश 7. रामचन्दर पुत्र रामप्रसाद साकिनान तिलहुआ परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 8. गांवसभा बजरिये प्रधान ग्राम पंचायत तिलहुआ परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़। —प्रतिवादीगण

वाजेह हो कि वादी ने आपके नाम एक नालिस दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारिख 21 माह 04 सन् 2026 ई0 बवक्त 10 बजे हाजिर हुजिए जवाबदेही कीजिए और हरगाह व तारीख जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल मुकदमा के तजबीज हुई है। आपको लाजिम है कि उस रोज अपने गवाहों को जिनके शहादत पर नाज जुमला दस्तावेज जिन पर अपनी जवाबदेही करना चाहते हों उस रोज को कीजिए और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में मसमुआ और फैसला होगा। बसक्त मेरे अदालत और मेरे मुहर अदालत के आज बतारिख 11 माह 04 सन् 2026 ई0 जारी किया गया। —आज्ञा से हाकिम

संस्थापक :
स्मृतिशेष श्री ठाकुर प्रसाद यादव

सम्पादक :
श्री विजय कुमार यादव

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री विजय कुमार यादव के लिए स्वाभिमान प्रकाशन, शहीद द्वार (सिविल लाईन) आजमगढ़ से मुद्रित कराकर 'देवव्रत' हिन्दी दैनिक कार्यालय, 31 शहीद द्वार आजमगढ़–276001 से प्रकाशित।
पो.रजि.नं. : आ./एन.पी.–92
टेली फैक्स : 05462–297576
मोबाइल : 9415370246
RNI NO. 56765/92

सबरीमाला केस : आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं

केस में 5वें दिन भी हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता बोला-इन्हें कानून से नहीं बदल सकते

नई दिल्ली,17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री की इजाजत दी थी। इस फैसले के लिए याचिकाओं पर अब सुनवाई हो रही है। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट राजीव धवन ने कोर्ट से कहा कि आस्था या विश्वास समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। यह बदलाव सिर्फ किसी कानून के बन जाने से नहीं आता; बल्कि यह बदलाव तो लोगों के बीच से ही उभरकर आता है।

इससे पहले 9 जजों की बेंच ने 15 अप्रैल की सुनवाई में कहा था कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। वहीं मंदिर प्रशासन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने कहा कि सबरीमाला कोई खिलौने की दुकान या रेस्टोरेंट का मामला नहीं है। यहां के देवता ब्रह्मचारी हैं। भारत में अयप्पा के लगभग 1,000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है, तो वहां जाएं। उन्हें इसी खास मंदिर में क्यों आना है। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में सबरीमाला में मासिक धर्म वाली महिलाओं (10-50 साल) की एंट्री पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बैन हटा दिया। फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गईं, जिसपर अब सुनवाई हो रही है। मंदिर प्रशासन महिलाओं की एंट्री का विरोध कर रहा है। सबरीमाला मंदिर मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई है। पहले 3 दिन, 9 अप्रैल तक सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखीं। सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए।एडवोकेट गिरी ने कहा यह पब्लिक धर्म या पब्लिक आस्था का सवाल नहीं है। हर मंदिर की अपनी अलग खासियत होती है क्योंकि हर देवता की अपनी खासियत होती है। जब मूर्ति पूजा हिंदू आस्था का एक अहम हिस्सा होती है, तो मूर्ति देवता बन जाती है, और देवता की अपनी खासियतें होती हैं। उन खासियतों को बनाए रखना पूजा का हिस्सा है। जब मैं मूर्ति पूजा की बात करता हूँ, तो इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। मंदिर में किसी देवी-देवता की पूजा करना हिंदुओं की मूल आस्था का एक हिस्सा है। इसलिए, उस देवी-देवता के जो भी मुख्य गुण हैं, वे उस मंदिर में की जाने वाली पूजा का ही एक अंग होते हैं। जब मैं किसी मंदिर में जाता हूं, तो मैं वहां चुनौती देने के लिए नहीं जाता। मैं तो अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए जाता हूं। मैं किसी मंदिर या किसी भी पूजा स्थल पर, वहां के देवी-देवता के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए नहीं जाता। मैं वहां इस पर प्रश्न करने के लिए नहीं जाता। वे मंदिर में इस तरह नहीं आ सकते, जैसे कोई संग्रहालय में जाता हो।

पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज

नई दिल्ली,17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका असम की अदालत में दाखिल करें। पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। उन्होंने कहा- असम की अदालतें बंद हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए। क्या खेड़ा कोई अपराधी हूं, जो मुझे इतनी राहत भी नहीं मिल सकती? जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने यह मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने उन्हें गलत डाक्यूमेंट देने के लिए फटकार भी लगाई। यह मामला असम सीएम हिमंता बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा को लेकर दिए गए आरोपों से जुड़ा है। खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि उनके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट और विदेश में संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रांजिट जमानत शुक्रवार को खत्म हो रही है, इसलिए इसे मंगलवार तक बढ़ा दिया जाए ।

गर्मी के बीच राजस्थान में बारिश, हरियाणा में गिरे ओले

लखनऊ,17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। देश के मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। गुरुवार को यूपी के बांदा में पारा 44.4 डिग्री, एमपी के नर्मदापुरम में 43डिग्री, राजस्थान के बाड़मेर में 42.9डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में पारा 40डिग्री से 45डिग्री के बीच है। इधर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरने से मंडी में रखा अनाज भीग गया। मौसम विभाग के मुताबिक, आज जयपुर समेत 5 से ज्यादा जिलों में बरसात हो सकती है। हरियाणा में भी शुक्रवार दोपहर को बारिश और ओले गिरे। छत्तीसगढ़ में हीटवेव के कारण 11 दिन पहले स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर-डिंडोरी में भी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7 से 12 बजे तक कर दिया गया है।

गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड में अगले 3 दिन लू का अलर्ट है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी लू चलेगी। तटीय राज्यों में मौसम उमस भरा रहेगा।

मौसम विभाग ने बताया है कि कर्नाटक-महाराष्ट्र के ऊपर बना एक एंटी-साइक्लोनिक सिस्टम मध्य भारत की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले गिरने का भी ऑरेंज अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब-हरियाणा, चंड़ीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।

पूर्वोत्तर राज्यों, यानी असम और मेघालय में भारी बारिश होगी। सिक्किम, गंगा से सटे और हिमालय से लगे बंगाल, अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंधी-बारिश का अलर्ट है।राजस्थान में शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। हनुमानगढ़ के नोहर में बारिश के साथ ओले गिरे। नोहर अनाज मंडी में बारिश से अनाज भीग गया। वहीं चूरू के राजगढ़ में बारिश के साथ तेज आंधी भी चली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज 5 से ज्यादा जिलों में हल्की बरसात हो सकती है।जयपुर सहित कई जिलों में गुरुवार रात से ही घने बादल छाए हुए हैं। वहीं, गुरुवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज गर्मी रही। बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 43 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हुआ।

वाणिज्यिक ठिकानों पर सैन्य हमला बर्दाश्त के बाहर-भारत

नई दिल्ली।संयुक्त राष्ट्र में भारत ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और खासकर ईरान से जुड़े हालात पर कड़ा और साफ संदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि पी हरीश ने स्थिति पर चिंता जताते हुए संतुलित लेकिन मजबूत बयान रखा। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी 2026 से ईरान और खारी क्षेत्र में शुरू हुए संघर्ष के बाद से भारत लगातार चिंतित है। भारत ने सभी देशों से अपील की है कि वह संयम बरतें। हालात को और ना बिगाड़े और आम नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने कहा कि भारत के लिए ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से एक विशेष चिंता का विषय होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाज हैं। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में वाणिज्यिक जहाजों को सैन्य हमलों का लक्ष्य बनाए जाने की भारत कड़ी निंदा करता है।

भारत ने यह भी जोर देकर कहा कि इस समय टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना जरूरी है। तनाव कम करने और असली समस्याओं का हल निकालने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही हर देश की संप्रभुता और उसकी सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत ने खासतौर पर इस बात पर नाराजगी भी जताई कि संघर्ष के दौरान व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में भारतीय नागरिकों की भी जान गई जो बेहद दुखद है। कुल मिलाकर भारत ने यूएन में साफ तौर पर यह कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमला करना पूरी तरह गलत है। निर्दोष क्रू मेंबर्स की जान खतरे में डालना स्वीकार्य नहीं है। समुद्री व्यापार और आवाजाही को रोकना अंतरराष्ट्रीय कानून के सख्त खिलाफ भारत ने स्टेट ऑफ हुर्मस का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि यह वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम रास्ता है।

बिहार सीएम को धमकी देने वाला गुजरात से गिरफ्तार

नई दिल्ली,17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी शेखर यादव को पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर पुलिस ऑडियो क्लिप के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि धमकी के पीछे के असली मकसद का पता चल सके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान शेखर यादव (32) के रूप में हुई है, जो बिहार के बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र का निवासी है।मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने यहां संवाददाताओं को बताया, मुंगेर के संग्रामपुर थाने को 15 अप्रैल को एक सूचना और एक ऑडियो क्लिप मिली थी।

भाजपा जितनी साजिश रच ले, उसकी हार होगी-ममता बनर्जी

नई दिल्ली,17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार की सभा में कहा- हमारे पार्टी कार्यालयों, कैंडिडेट के घरों तक पर छापेमारी हो रही है। लेकिन, चाहे कितनी भी साजिश रच लें, भाजपा को हार का सामना करना ही होगा।वहीं, मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा- हर जनगणना में मुस्लिम आबादी 4-5% बढ़ी है। असम में भी यही हो रहा है। मैं बंगाल के लोगों से अपील करता हूं कि देश को बचाना आपके हाथों में है। अगर बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय मिलकर काम नहीं करेंगे, तो देश बिखर जाएगा, यह बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा।

ममता बनर्जी शुक्रवार को कूच बिहार, दुगार्पुर और दमदम में रोड शो और जनसभा करेंगी। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण (29 अप्रैल) के चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुक्रवार को आयकर विभाग ने ळटउ विधायक देबाशीष कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। चुनाव आयोग ने गुरुवार को तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए एश्ट और श्शढअळ की कमीशनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है।पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा- ममता बनर्जी हर बात का विरोध करती हैं। वह सीएए को एनआरसी और एसआईआर को एनआरसी कहती हैं, ये सब बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देश में संविधान का पालन होना चाहिए।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार की सभा में कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में कहा है कि उत्तर बंगाल में विकास विभाग में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं कहती हूं, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। हालांकि यह पद आपके लिए लंबे समय तक नहीं रहेगा। जब तक आप यहां हैं, कृपया कम झूठ बोलें।आसनसोल साउथ भाजपा कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल ने कहा- इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव की मांग कर रही है। 15 वर्षों तक ममता बनर्जी ने उन्हें धोखा दिया। कई वादे किए गए,लेकिन एक भी पूरा नहीं किया गया। बदलाव हो रहा है। बंगाल की जनता ने यह संकल्प ले लिया है। हमें जनता से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जनता आपसे खुलकर नहीं कहेगी क्योंकि डर का माहौल है, लेकिन वे ईवीएम में मोदी जी को ही वोट देंगे।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ की डकैती

सिंगरौली,17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिनदहाड़े बैंक डकैती का मामला सामने आया है। यहां बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार दोपहर 5 हथियारबंद बदमाश घुसे। फायरिंग कर करीब 9-10 किलो सोना और 20 लाख कैश लेकर भाग गए। सोने की कीमत करीब 15 करोड़ आंकी गई है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है। जानकारी के मुताबिक, लूटा गया सोना ग्राहकों का था, जिसे बैंक ने गिरवी रखकर लोन जारी किया था। सोना एक ही लॉकर में रखा गया था, जिसे बदमाशों ने निशाना बनाया। आरोपी पिट्ठू बैग के साथ एक बड़ा कपड़े का थैला लेकर आए थे। उसी में सारा माल भरकर फरार हो गए। चश्मदीद आशीष पांडे ने बताया कि जब वह अपनी पत्नी के साथ बैंक में काम करा रहे थे, तभी अचानक दो हथियारबंद बदमाश अंदर दाखिल हुए।

स्पेस में 18 बार खतरे में आए भारतीय उपग्रह, इसरो ने रास्ता बदलकर मलबे से बचाया

नई दिल्ली,17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। इसरो की इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस रिपोर्ट-2025 के मुताबिक, पिछले साल भारत को अपने सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सतर्कता बरतनी पड़ी। 2025 में इसरो के सैटेलाइट्स के लिए करीब डेढ़ लाख से ज्यादा अलर्ट जारी हुए। ये अलर्ट अमेरिकी स्पेस कमांड से मिले, जिनका विश्लेषण भारतीय वैज्ञानिकों ने अधिक सटीक ऑर्बिटल डेटा के साथ किया। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि लो-अर्थ ऑर्बिट अब खतरनाक रूप से भीड़भाड़ वाला हो चुका है। अंतरिक्ष में मलबे के टकराने के खतरों से बचने के लिए इसरो को 18 बार ह्यकोलोजन अवॉइडेंस मैन्यूवरह्ण करना पड़ा। यह 14 बार छएड सैटेलाइट्स और 4 बार जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए किया गया। इन मैन्यूवर्स में सैटेलाइट की गति और ऊंचाई में बदलाव कर संभावित टकराव को टाला जाता है।भविष्य के जोखिम को देखते हुए भी इसरो को 84 बार अपनी ऑर्बिट मैन्यूवर प्लानिंग बदलनी पड़ी। गहरे अंतरिक्ष में चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के लिए 2 बार प्लान बदला गया, ताकि नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर से टकराव से बचा जा सके।

अकेले चंद्रयान-2 के लिए 2025 में 16 ऑर्बिट मैन्यूवर किए गए। इसरो ने 2025 में अपने सभी 5 लॉन्च के लिए लिफ्ट-ऑफ से पहले कोलोजन अवॉइडेंस एनालिसिस किया। एक मामले में एलवीएम3-एम6 मिशन की लॉन्चिंग को 41 सेकंड तक टालना पड़ा, ताकि मलबे से दूरी सुनिश्चित की जा सके।

आईएसएसएआर 2025 और डब्ल्यूईएफ 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष अब 'कचरे का डिब्बा' बनता जा रहा है। शोध के अनुसार, अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर से बड़े 40,000 और 1 सेंटीमीटर से बड़े करीब 12 लाख टुकड़े मलबे के रूप में मौजूद हैं।2025 में 328 लॉन्च प्रयास हुए, जिससे 4,198 सैटेलाइट्स स्थापित हुए और कुल 4,651 नए स्पेस ऑब्जेक्ट्स जुड़ गए। स्पेस में कचरा 28,000 किमी/घंटा की रफ्तार से घूम रहा है। एक छोटा सा पेंच भी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है।

दूसरे देश कैसे कर रहे सैटेलाइट की सुरक्षा

अमेरिकाः उन्नत रडार नेटवर्क और सेंसर से से 40 हजार मलबों की रियल-टाइम ट्रैकिंग।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसीः अत्याधुनिक कोलिजन अवॉइडेंस सॉफ्टवेयर।

चीनः विशाल ग्राउंड-बेस्ड टेलीस्कोप और अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को एक कक्षा से दूसरी में ले जाने वाली ह्यऑन-ऑर्बिट रीफ्यूलिंगह्ण तकनीक। जापानः निजी कंपनियों के साथ मिलकर चुंबकीय और बिजली के तारों जैसी तकनीकों से मलबे को खींचकर वापस धरती के वातावरण में लाने का प्रयोग।

चारधाम यात्रा से दो दिन पहले शुरू हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन

हरिद्वार,17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया। राज्य के तीन प्रमुख शहर–हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश में यात्रियों के लिए काउंटर बनाए गए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर लगाए गए हैं, जबकि ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप और आईएसबीटी में 30 से अधिक काउंटर बनाए गए हैं। देहरादून के हरबर्टपुर बस स्टैंड पर भी बड़ा रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किया गया है।इसके अलावा यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों–सोनप्रयाग, जानकीचट्टी, बरकोट (यमुनोत्री मार्ग), हिना (उत्तरकाशी), पंखी (चमोली), जोशीमठ, बद्रीनाथ, गौरीकुंड और गोविंदघाट में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे यात्रियों का स्वागत आरती, फूल-मालाओं और मिठाई के साथ किया गया।रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 चीजें जरुरी- आधार कार्ड/पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस एक अपना मोबाइल नंबर और एक परिवार के किसी सदस्य का नंबर चारधाम दर्शन की तिथि यदि आप अपने किसी परिचित या परिवार के सदस्य का रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, तो आपको उनके दस्तावेज और मोबाइल नंबर का भी वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यात्रा शुरू होने से पहले उसका हेल्थ चेकअप होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत बकौली विकास खण्ड घोरावल जनपद सोनभद्र

पत्रांक– /टेण्डर सूचना/2026–27 दिनांक 16.04.2026

अल्पकालीन निविदा/कोटेशन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बकौली में वित्तीय वर्ष 2026–27 में मनरेगा /V.B.G. RAM G/राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त / SLWM/SBM/RGSA/SNA अन्य निधियों से प्राप्त धनराशि से निर्माण कराये जाने हेतु व्यापार कर विभाग आयकर में पंजीकृत फर्मो के द्वारा ग्राम पंचायत परिधि के अन्दर निम्न विवरणनुसार कार्यस्थल पर सामग्री आपूर्ति कराने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। ईट प्रथम श्रेणी, सोलर लाईट, स्ट्रीट नाईट, टैंकर क्रय, टैंकर मरम्मत बालू, डाला गिट्टी, सोलिंग गिट्टी, इंटरलॉकिंग ईट, सीमेंट, पटिया, टीन शेड, ऐजबेस्टेस सीट, शौचालय निर्माण सामग्री, PVC पाईप, बोल्डर, सरिया, स्टोन डस्ट, GSB, हैडपप सामग्री, हैण्डपम्प रिबोर / बोर, पेन्टिंग सामग्री, ई–रिक्शा, बेला–गाड़ी, सफाईकर्मी किट, एयूम पाईप, सीमेन्ट बेच, लोहे का (दरवाजा, खिड़की, एगल, पाईप), बिजली वायरिय सामग्री, समरसिबल पम्प, सोलर पम्प, अन्य सामग्री। इच्छुक आपूर्तिकर्ता निविदा दिनांक–18.04.2026 से 27.04.2026 तक ग्राम पंचायत कार्यालय पर जमा कर सकते है। जिसे दिनाक 28.04.2026 को अपरान्ह 04 बजे निविदा दाताओं जो उपस्थित रहना चाहते है के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोला जायेगा। टेंडर फार्म शुल्क रु० 500 जमा कर निर्धारित अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबंध और शर्ते– 1–निविदा की सभी दरें कर सहित लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2–जमानत धनराशि और अन्य जानकारी हेतु ग्राम पचायत कार्यालय सम्पर्क कर सकते है। 3–खराब आपूर्ति की दशा में जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। 4–सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी। 5–बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बकौली
विकास खण्ड घोरावल, सोनभद्र

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बकौली
विकास खण्ड घोरावल, सोनभद्र

कार्यालय ग्राम पंचायत सोतिल विकास खण्ड घोरावल जनपद सोनभद्र

पत्रांक– /टेण्डर सूचना/2026–27 दिनांक–

अल्पकालीन निविदा/कोटेशन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सोतिल में वित्तीय वर्ष 2026–27 में मनरेगा /V.B.G. RAM G/राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त / SLWM/SBM/RGSA/SNA अन्य निधियों से प्राप्त धनराशि से निर्माण कराये जाने हेतु व्यापार कर विभाग आयकर में पंजीकृत फर्मो के द्वारा ग्राम पंचायत परिधि के अन्दर निम्न विवरणनुसार कार्यस्थल पर सामग्री आपूर्ति कराने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। ईट प्रथम श्रेणी, सोलर लाईट, स्ट्रीट नाईट, टैंकर क्रय, टैंकर मरम्मत बालू, डाला गिट्टी, सोलिंग गिट्टी, इंटरलॉकिंग ईट, सीमेंट, पटिया, टीन शेड, ऐजबेस्टेस सीट, शौचालय निर्माण सामग्री, PVC पाईप, बोल्डर, सरिया, स्टोन डस्ट, GSB, हैडपप सामग्री, हैण्डपम्प रिबोर / बोर, पेन्टिंग सामग्री, ई–रिक्शा, बेला–गाड़ी, सफाईकर्मी किट, एयूम पाईप, सीमेन्ट बेच, लोहे का (दरवाजा, खिड़की, एगल, पाईप), बिजली वायरिय सामग्री, समरसिबल पम्प, सोलर पम्प, अन्य सामग्री। इच्छुक आपूर्तिकर्ता निविदा दिनांक–18.04.2026 से 27.04.2026 तक ग्राम पंचायत कार्यालय पर जमा कर सकते है। जिसे दिनाक 28.04.2026 को अपरान्ह 02 बजे निविदा दाताओं जो उपस्थित रहना चाहते है के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोला जायेगा। टेंडर फार्म शुल्क रु० 500 जमा कर निर्धारित अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबंध और शर्ते– 1–निविदा की सभी दरें कर सहित लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2–जमानत धनराशि और अन्य जानकारी हेतु ग्राम पचायत कार्यालय सम्पर्क कर सकते है। 3–खराब आपूर्ति की दशा में जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। 4–सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी। 5–बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सोतिल
विकास खण्ड घोरावल, सोनभद्र

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सोतिल
विकास खण्ड घोरावल, सोनभद्र

कॉर्पोरेट जवाबदेही और लैंगिक संवेदनशीलता वाले सुधारों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता

देश की एक प्रमुख आईटी कंपनी की नासिक शाखा में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों के चौंकाने वाले आरोप परेशान करने वाले हैं। निस्संदेह, यह प्रकरण बेहद गंभीर है और इन आरोपों ने कार्यस्थल की सुरक्षा जैसे नजरअंदाज किए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर देश का ध्यान आकर्षित किया है। यह आरोप है कि पुरुष कर्मचारियों का एक समूह महिला सहकर्मियों को निशाना बनाने के लिए एक "संगठित गिरोह" की तरह काम कर रहा था। निश्चित रूप से यह घटनाक्रम कंपनी प्रबंधन की उस घोर लापरवाही को ही उजागर करता है जिस के चलते समय रहते इस तरह के यौन उत्पीड़न व धर्म परिवर्तन की कोशिशों पर अंकुश नहीं लग सका। यह विडंबना ही है कि मानव संसाधन प्रबंधक ने कथित तौर पर पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से यह कहकर रोका कि "ऐसी चीजें होती रहती हैं।" आक्षेप लगाया गया है कि इस प्रकरण में आरोपी का ही पक्ष लिया गया। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम कॉर्पोरेट जगत में व्याप्त विद्रूपताओं और एक गहरी तथा व्यापक विफलता की ओर ही इशारा करता है। जबकि दावा यह किया जाता रहा है कि कॉर्पोरेट जगत की प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चत करना है। इसमें दो राय नहीं है कि जब यौन उत्पीड़न रोकथाम ढांचे को लागू करने के लिये जिम्मेदार उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर दुर्व्यवहार को सामान्य या मामूली बात समझने का आरोप लगता है, तो सारे संस्थागत सुरक्षा उपाय ध्वस्त हो जाते हैं। निर्विवाद रूप से यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है, जब पीड़ित महिला कर्मचारी को न केवल अपराधियों द्वारा बल्कि उनकी सुरक्षा का दायित्व संभालने वालों द्वारा भी चुप कराने के प्रयास किये जाते हैं। एक बार फिर से पुलिस के हस्तक्षेप और परामर्श के बाद ही कई पीड़ित महिला कर्मचारियों ने आगे आने का साहस जुटाया है। जिसके बाद ही मामले में प्राथमिकी दर्ज हो पायी है।

बहरहाल, इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को लेकर एक असहज करने वाला प्रश्न यह उठता है कि क्यों भय, सामाजिक कलंक अथवा संस्थागत उदासीनता के कारण देश भर के विभिन्न कार्यस्थलों में ऐसे कितने ही यौन उत्पीड़न के मामले उजागर नहीं हो पाते हैं? इसमें दो राय नहीं कि इस मामले में जांच बिना किसी पुर्वाग्रह के आगे बढ़नी चाहिए। निर्विवाद रूप से आईटी कंपनी के नासिक प्रकरण में सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देने का प्रयास इस संकट की मूल चिंताओं को धूमिल करने का जोखिम जरूर पैदा कर सकता है। निस्संदेह, ऐसी घटनाओं को धार्मिक या वैचारिक नजरिये से देखना कॉर्पोरेट जवाबदेही और लैंगिक संवेदनशीलता वाले सुधारों की तत्काल आवश्यकता से ध्यान भटका सकता है। इस संवेदनशील विषय पर नजर रखने वाले तर्क देते हैं कि उत्पीड़न को संप्रदाय विशेष के अपराध के रूप में देखने के बजाय, इसे एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकार के दुरुपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी संस्थान में पारदर्शिता और प्रवर्तन की कमी वाले वातावरण में ही पनपता है। इस विचलित करने वाले प्रकरण में अधिकारियों की प्रतिक्रिया, जिसमें एक विशेष जांच दल का गठन भी शामिल है, स्वागत योग्य है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में महिला आयोग द्वारा भी एक स्वतंत्र जांच की जा रही है, जो कि एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। हालांकि, कॉर्पोरेट जगत से जुड़े कार्यालयों में स्थायी परिवर्तन तभी संभव होगा जब कंपनियां ऐसे मामलों में "शून्य सहिष्णुता" की घोषणा करेंगी। इसके साथ ही जरूरत इस बात की भी कि कार्यालयों में ऐसा निर्भयतापूर्ण वातावरण तैयार किया जाए कि कोई भी महिला कर्मचारी बिना डर के बोलने के लिये सशक्त बन सके। उन्हें सशक्त बनाने के लिये आंतरिक तंत्र को सक्रिय रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि कंपनियों का शीर्ष प्रबंधन गाहे-बगाहे यह पड़ताल करता रहे कि सर्वाधिकार प्राप्त कोई अधिकारी असीमित अधिकारों की आड़ में उत्पीड़न के अपवित्र खेल में शामिल तो नहीं है। एक पारदर्शी व सतर्क व्यवस्था भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा सकती है।

थार की मार से बचाओ सरकार

• राकेश अचल

महेंद्रा कंपनी के लिए 3 और5 डोर थार कार भले ही सोने का अंडा देने वाला ब्रांड हो लेकिन इस कार प्रजाति से पूरा देश थरथरा रहा है. भारत की सडकों पर थार अब यमराज का दूसरा नाम हो गया है. आप सडक पर हों या फुटपाथ पर थार आपको कहीं भी कुचल सकती है, थार के पंजे से आपको कोई नहीं बचा सकता.

मप्र में भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी का बेटा हो या खंडवा में सनावद केकिसी दूसरे भाजपा नेता जिसके पास भी थार है वो किसी को भी कुचल कर घायल कर सकता है, मार सकता है. दोनों हादसों में 5 लोग मारे गए जबकि आधा दर्जन घायल हो गए. पुलिस का काम मामला दर्ज करने का है सो वो कर लेती है. लेकिन थार की रफ्तार पर किसी का कोई अंकुश नहीं है.

कलिकाल में थार यमराज का नवीननतम अवतार है. 7 से 18 लाख रुपए में आने वाली थार कार मया तो सत्तारूढ दल के नेताओं और उनके परिजनों के पास हैं या फिर खनन और भू माफिया के पास. ये थार वाले इंसान को कुचलने में रत्तीभर नहीं हिचकते. पुलिस का इन्हे डर नहीं. जानते हैं एक मारो या पांच फांसी नहीं होने वाली. थाने से ही जमानत मिल जाती है.

आप जानकर हैरान होंगे कि नवधनाढ्यों पर थार का ऐसा भूत सवार है कि अब तक 3 लाख से ज्यादा थार कारें बिक चुकी हैं. थार बाहुबली होने का प्रतीक बन चुकी है. इसीलिए नेताओं और गुंडों में थार की बेहद मांग है. देश का शायद ही कोई ऐसा शसर हो जहाँ थार माता मौजूद न हों. बाहुबली तो समझते हैं कि 'थार नहीं तो जन्म लेना ही बेकार है.

एक जमाने में स्कार्पियो बाहुबलियों की पसंद हुआ करती थी, अब थार ने उसकी जगह ले ली है. मोटे,, चौडे टायर वाली थार अगर काले रंग की है तो उसस जरूर बचकर रहिये. साइड मांगे तो फौरन दे दीजिये. छोटी मोटी खरोंच कर दे तो थार चालक को गुस्से से नहीं मुस्करा कर देखिए. तभी आपकी जान बच सकती है अन्यथा थार वाला आपको दस-पांच किमी पछियाकर भी सबक सिखा सकता है.

भारत में रोजाना सड़क हादसों के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 2023 की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक साल में कुल सड़क हादसेः 4,80,583 हुए. यानि रोजाना औसत 1,317 हादसे.रोजाना 474 मौतें यानि एक साल में कुल 1,72,890 मौतें.

रोजाना लगभग 1,268 लोग घायल यानि एक साल में (कुल 4,62,825 घायल.इसका मतलब है हर घंटे लगभग 55 हादसे और 20 मौते..

2024 में संसद में दी गई जानकार के मुताबिक सडक पर मरने वालों की संख्या में हर साल 2.3% का इजाफा हो रहा है.कुल हादसों की संख्या 2024 में लगभग 4.7 से 4.8 लाख के आसपास बताई गई है, यानी रोजाना हादस अभी भी 1,300 के करीब ही हैं।

जब से थार सडक पर आई है तब से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं कुल हादसों का लगभग 31 प्रतिशत और मौतों का 36 प्रतिशत है. थार का आतंक सबसे ज्यादा तमिलनाडु,उत्तर प्रदेश (मौतों में और मध्य प्रदेश में है.यानि ' थार है जहाँ मौत है वहाँ '.इसलिए जब भी घर से निकलें तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका सामना किसी थार नाम की से न हो.

वाइफ स्वैपिंग : भारत के गाँवों की असल रिपोर्ट

• डॉ राजेंद्र यादव आजाद

पिछले 23 वर्षों से 66 से भी ज्यादा स्टिंग ऑपरेशन करने वाली पत्रकार विनीता यादव की वाइफ स्वैपिंग पुस्तक अपने शीर्षक से ही पाठक को झकझोर देती है क्योंकि "वाइफ स्वैपिंग" जैसा शब्द भारतीय ग्रामीण समाज के संदर्भ में एक चौंकाने वाला और असहज कर देने वाला विषय है लेकिन जैसे-जैसे पाठक इसके भीतर प्रवेश करता है यह स्पष्ट होता जाता है कि यह कृति केवल सनसनी फैलाने के लिए नहीं लिखी गई बल्कि समाज के उस काले और अनकहे सच को उजागर करने का साहसिक प्रयास है जिसे अक्सर परंपरा, मयार्दा और सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर दबा दिया जाता है ! यह पुस्तक एक साहित्यिक रचना से अधिक एक खोजी दस्तावेज की तरह सामने आती है जिसमें लेखिका ने अपने पत्रकारिता अनुभवों के आधार पर उन घटनाओं और स्थितियों को सामने रखा है जो आमतौर पर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बन पातीं ! प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखिका का उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं है बल्कि उन सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारणों को समझना और समझाना भी है जिनके कारण इस प्रकार की अमानवीय प्रथाएँ पनपती हैं और टिकती भी हैं ! यह पुस्तक भारतीय गाँवों के उस यथार्थ को सामने लाती है जहाँ विकास और आधुनिकता के दावों के बावजूद कई स्तरों पर गहरी असमानताएँ, पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं के प्रति भेदभाव अब भी जड़ें जमाए हुए हैं ! लेखिका ने इस कृति में जिन घटनाओं और अनुभवों को प्रस्तुत किया है वे केवल व्यक्तिगत कहानियाँ नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक संरचना की ओर संकेत करते हैं जहाँ महिलाओं की स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकार अक्सर परिवार और समाज की तथाकथित इज्जत के आगे कुर्बान कर दिए जाते हैं ! इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह पाठक को केवल जानकारी नहीं देती बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो एक समाज को इस हद तक संवेदनहीन बना देती हैं कि रिश्तों की पवित्रता तक को लेन-देन और नियंत्रण के साधन में बदल दिया जाता है ! लेखिका की भाषा सरल और सहज है लेकिन उसके भीतर एक गहरी संवेदनशीलता और आक्रोश भी छिपा हुआ है जो पाठक को हर पंक्ति के साथ महसूस होता है ! वे कहीं भी अनावश्यक अलंकरण या साहित्यिक जटिलता का सहारा नहीं लेतीं बल्कि सीधी और प्रभावशाली भाषा में अपनी बात कहती हैं यही कारण है कि पुस्तक का प्रभाव और अधिक तीव्र हो जाता है क्योंकि पाठक को लगता है कि वह किसी कहानी को नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की घटनाओं को पढ़ रहा है ! पुस्तक में महिलाओं की स्थिति का जो चित्रण किया गया है वह अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक है यहाँ महिलाएँ केवल पीड़ित पात्र नहीं हैं बल्कि कई स्थानों पर वे संघर्ष करती हुई, सवाल उठाती हुई और अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हुई भी दिखाई देती हैं !

यह पहलू पुस्तक को एक नई दिशा देता है क्योंकि यह केवल शोषण की कहानी नहीं रह जाती बल्कि प्रतिरोध और परिवर्तन की संभावना भी प्रस्तुत करती है ! लेखिका ने यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार की प्रथाएँ केवल व्यक्तिगत विकृतियों का परिणाम नहीं हैं बल्कि इनके पीछे एक जटिल सामाजिक ढांचा काम करता है जिसमें गरीबी, अशिक्षा, जातिगत व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव और सत्ता के असंतुलन जैसे कई कारक शामिल होते हैं जब तक इन मूल कारणों को समझा और दूर नहीं किया जाएगा तब तक केवल घटनाओं की निंदा करने से कोई वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है ! इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह पाठक को असहज करती है और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता भी है क्योंकि अच्छी साहित्यिक और पत्रकारिक कृतियाँ वही होती हैं जो पाठक को उसके आरामदायक दायरे से बाहर निकालकर उसे कठोर सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करें ! "वाइफ स्वैपिंग" इसी श्रेणी की कृति है जो हमें यह सोचने पर विवश करती है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी वास्तविकता क्या है और उसमें हमारी क्या भूमिका है ! क्या हम केवल दर्शक बने रहेंगे या फिर इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ठोस प्रयास करेंगे पुस्तक का सामाजिक महत्व अत्यंत व्यापक है क्योंकि यह केवल एक विशेष विषय तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह पूरे समाज की मानसिकता पर प्रश्नचिह्न लगाती है ! यह पुस्तक दिखाती है कि किस प्रकार परंपरा और संस्कृति के नाम पर कई बार ऐसी प्रथाओं को भी स्वीकार कर लिया जाता है जो मूलतः अमानवीय और अन्यायपूर्ण होती हैं ! यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो समाजशास्त्र, महिला अध्ययन, मानवाधिकार और पत्रकारिता जैसे विषयों में रुचि रखते हैं क्योंकि यह उन्हें जमीनी स्तर की सच्चाइयों से रूबरू कराती है साथ ही यह आम पाठकों के लिए भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि यह उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करती है और उन्हें संवेदनशील बनाती है ! लेखिका की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे अपने विषय के प्रति पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लिखती हैं वे किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण या सतही दृष्टि से बचती हैं और हर पहलू को समझने की कोशिश करती हैं यही कारण है कि उनकी प्रस्तुति विश्वसनीय और प्रभावशाली बनती है हालांकि पुस्तक के कुछ हिस्सों में विषय की गंभीरता और तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि पाठक को मानसिक रूप से भारीपन महसूस हो सकता है लेकिन यह भी इस बात का प्रमाण है कि लेखिका ने सच्चाई को बिना किसी परदे के सामने रखने का साहस किया है ! यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं-कहीं पाठक को यह महसूस हो सकता है कि यदि और अधिक सांख्यिकीय आंकड़े या तुलनात्मक अध्ययन शामिल किए जाते तो पुस्तक का शोध पक्ष और अधिक मजबूत हो सकता था लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रभावशीलता में कोई कमी नहीं आती क्योंकि इसका मुख्य बल इसके अनुभवजन्य और मानवीय पक्ष में निहित है ! यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक विकास या तकनीकी उन्नति से नहीं मापी जा सकती बल्कि यह इस बात से तय होती है कि उस समाज में महिलाओं और कमजोर वर्गों की स्थिति कैसी है यदि वे सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र नहीं हैं तो किसी भी प्रकार की प्रगति अधूरी है ! "वाइफ स्वैपिंग" इसी अधूरी प्रगति की कहानी कहती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए यह कृति एक चेतावनी भी है और एक आह्वान भी ! चेतावनी इसलिए कि यदि हम इन समस्याओं को नजरअंदाज करते रहे तो वे और अधिक गहरी होती जाएँगी और आह्वान इसलिए कि अब समय आ गया है कि हम इन मुद्दों पर खुलकर बात करें और परिवर्तन के लिए प्रयास करें ! "वाइफ स्वैपिंग" केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है जो हमारे समय की जटिलताओं और विडंबनाओं को उजागर करता है यह हमें हमारे समाज का वह चेहरा दिखाती है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते लेकिन जिसे समझना और बदलना बेहद जरूरी है ! यह कृति अपने साहस, संवेदनशीलता और यथार्थपरक दृष्टिकोण के कारण हिंदी साहित्य और पत्रकारिता दोनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हर उस पाठक के लिए अनिवार्य हो जाती है जो सच को जानने और समाज को समझने की इच्छा रखता है !! (मोबाइल -941427 1288)

सिने जगत

अर्जुन रामपाल की 14 फिल्में फ्लॉप, नहीं दे पाए किराया

एक समय बॉलीवुड में अपनी स्टाइल और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचाने जाने वाले अर्जुन रामपाल का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा। मॉडलिंग से फिल्मों में आए अर्जुन ने शुरूआत में पहचान बनाई, लेकिन लंबे समय तक उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं।

इस दौर में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और घर का किराया भरना भी मुश्किल हो गया था। करीब 14 फिल्मों की असफलता ने उनके करियर पर सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संघर्ष के दौर में उन्होंने खुद को तराशा और अभिनय पर काम जारी रखा।

समय के साथ उन्हें रॉक ऑन जैसी फिल्मों से सराहना मिली और अब धुरंधर के जरिए उनकी किस्मत फिर चमकती नजर आ रही है। अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका शुरूआती जीवन दिल्ली में बीता, जहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की। उनके पिता अमरजीत रामपाल भारतीय सेना में अधिकारी थे, जबकि उनकी मां ग्वेन रामपाल स्कूल टीचर थीं।सेना के अनुशासन और मां के संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर डाला। इसी वजह से उनमें अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना बचपन से ही मजबूत होती गई।अर्जुन रामपाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि फैशन और विज्ञापनों की ओर बढ़ी। शुरूआत में उनका इरादा मॉडलिंग में आने का नहीं था, लेकिन उनकी पर्सनालिटी और लुक्स ने उन्हें इस ओर खींच लिया।

दरअसल एक पार्टी में उनकी मुलाकात पूर्व मिस इंडिया और मॉडल मेहर जेसिया से हुई। उन्होंने उन्हें मॉडलिंग इंडस्ट्री से परिचित कराया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने बड़े फैशन डिजाइनर्स और ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक शुरू किया और जल्द ही भारत के वे प्रमुख मेल मॉडल्स में शामिल हो गए।

1990 के दशक में वे कई विज्ञापनों और फैशन शोज का हिस्सा बने। इससे उनकी पहचान तेजी से बढ़ी और बॉलीवुड में आने से पहले ही उन्होंने मॉडलिंग में नाम बना लिया।

मॉडलिंग के दौरान उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और विज्ञापनों की लोकप्रियता ने फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। इसी दौरान अशोक मेहता ने उन्हें फिल्म मोक्ष (2001) में मनीषा कोइराला के अपोजिट कास्ट किया। दूसरी फिल्म "प्यार इश्क और मोहब्बत" में निर्देशक राजीव राय ने उन्हें एक विज्ञापन में देखा और प्रभावित होकर कास्ट किया।

हालांकि यह फिल्म "मोक्ष" से पहले रिलीज हुई थी। इसमें अर्जुन रामपाल के साथ सुनील शेट्टी, आफताब शिवदासनी और कीर्ति रेड्डी नजर आए।

पॉप डायरीज को दिए इंटरव्यू में अर्जुन ने बताया था- मैं अपने करियर की शुरूआत में एक बेहद सफल मॉडल था। उसी दौरान अशोक मेहता मेरे पास फिल्म "मोक्ष" लेकर आए, जिसमें मुझे मनीषा कोइराला के साथ काम करने का मौका मिला। उस समय वह अपने करियर के शिखर पर थीं।

मुझे याद है, हम चंबल घाटी में एक सीन शूट कर रहे थे। जब मैंने शूटिंग का फुटेज देखा, तो खुद को देखकर मुझे खुद से ही नफरत हो गई। मैंने सोचा, "हे भगवान, मैं कितना खराब दिख रहा हूं। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि अब मैं मॉडलिंग नहीं करूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस फिल्म को बनने में छह साल लग जाएंगे।

उस दौरान मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं था। मैं मुंबई के अंधेरी स्थित सेवन बंगलों में रहता था। मेरे मकान मालिक सरदारजी बहुत अच्छे इंसान थे। हर महीने की पहली तारीख को वे आते, मुझे देखते और मैं उन्हें देखता। वे मुस्कुराकर पूछते, "नहीं है ना?" और मैं सिर हिला देता। तब वे कहते, कोई बात नहीं, तू दे देगा। बहरहाल, मोक्ष और प्यार इश्क और मोहब्बत" बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं, लेकिन आलोचकों ने अर्जुन रामपाल के अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस की सराहना की। मोक्ष और प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद अर्जुन रामपाल ने दीवानापन, तहजीब, दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, असंभव, वादा, आंखें, हमको तुमसे प्यार है, यकीन, डरना जरूरी है, ऐलान और एक अजनबी जैसी फिल्मों में काम किया।

परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक में देश-हित कितना और भाजपा-हित कितना

• उर्मिलेश

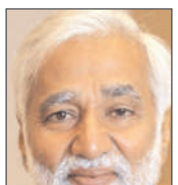

देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या के पुनर्निर्धारण का मामला हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और राष्ट्रीय एकता को सीधे प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इसलिये परिसीमन के इस प्रयास पर देश के हर राज्य में गंभीर विचार-विमर्श की दरकार थी। आज की परिस्थिति में परिसीमन का आधार क्या हो? सिर्फ आबादी का आकार हो या कुछ और भी! परिसीमन कब कराया जाना उचित होगा? उसका वाजिब आधार और फामूर्ला क्या हो? उत्तर-दक्षिण और पूरब-पश्चिम के बीच बेहतर संख्यात्मक संतुलन का बेहतर फामूर्ला क्या हो? ऐसे सवालों पर गंभीर मंथन देश के हित में बहुत जरूरी था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

मजे की बात प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अभी इसी 14 अप्रैल को अन्य दलों के नेताओं के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया था! पर ठीक दो दिन बाद उसने परिसीमन और महिला-आरक्षण पर लोकसभा में ऐसे विधेयक पेश कर दिये जो बाबा साहेब के विचारों के बिल्कुल उलट हैं! पहले परिसीमन विधेयक की चर्चा करें। कैसे यह विधेयक बाबा साहेब के विचारों और चेतावनियों का खुलेआम अनदेखी करता है! बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाषायी राज्यों के गठन की प्रक्रिया में पैदा हो रहे कुछ महत्वपूर्ण और चिंताजनक अंतर्विरोधों की चर्चा की थी। तत्कालीन शासन को भावी खतरों से चेताया भी था! आज वे खतरे बिल्कुल हमारे सामने हैं! बाबा साहेब ने 1955 में कहा था: "जिस तरह हम देश के अंदर राज्यों की विभाजन सीमाएं तय कर रहे हैं, उत्तर और पश्चिम के हिंदी क्षेत्र में भाषायी समानता के आधार पर बडे-बडे राज्यों का निर्माण कर रहे हैं और दक्षिण में हम अपेक्षाकृत छोटे छोटे राज्य बना रहे हैं; इससे दक्षिण पर उत्तर का वर्चस्व स्थापित हो जायेगा! भाषायी राज्यों पर विचार" शीर्षक अपने वृहत्त आलेख में बाबा साहेब ने साफ शब्दों में कहा: "उत्तर का इलाका कंजरवेटिव है,

दक्षिण का प्रगतिशील है! उत्तर में अंधविश्वास है, दक्षिण तार्किक है। दक्षिण शैक्षिक रूप से भी आगे है। दक्षिण की संस्कृति आधुनिक है। उत्तर की संस्कृति प्राचीन है"। बाबा साहेब का कहना था कि शासन के स्तर पर राज्यों के मामले में बहुत संतुलन रखने की जरूरत है! दक्षिण पर उत्तर का राजनीतिक वर्चस्व मुश्किलें पैदा कर सकता है। पहले भी बाबा साहेब की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और आज उनकी जयंती पर उन्हें फूल-माला चढाने वाली मोदी सरकार तो और भी अनदेखी कर रही है। वह सिर्फ दक्षिण पर उत्तर के वर्चस्व का स्थायी प्रबंध ही नहीं कर रही है, संपूर्ण भारत पर "उच्चवर्णीय हिंदुत्व" के स्थायी शासन कायम करने का मुकम्मल इंतजाम भी कर रही है! परिसीमन विधेयक जैसे संविधान संशोधन विधेयक के मामले में उसने सब कुछ अपनी तरफ से तय कर लिया। राज्यों से कुछ विचार जरूर आये थे पर उनकी अनदेखी हुई। परिसीमन विधेयक का मौजूदा प्रारूप निश्चित रूप से भारत के हित में नहीं। यकीनन, भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना हित जरूर देख रही होगी पर यह कोई जरूरी नहीं कि हर समय सत्ताधारी समूह और देश के हितों में समानता ही होगी! सबसे पहला और बुनियादी सवाल है, 2026 में बनने वाला परिसीमन कानून 2011 की जनगणना के आधार पर क्यों बने? वह भी तब जब देश में इस वक्त जनगणना कराई जा रही है! दूसरी बात कि विभिन्न राज्यों में सीटों के पुनर्निर्धारण का जो आधार तैयार किया गया है, वह जनसंख्या में तेजी से इजाफा करने वाले राज्यों के पक्ष में बुरी तरह झुका हुआ क्यों है? देश के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक और राजनैतिक योगदान करने वाले दक्षिण के उन राज्यों के साथ अन्याय क्यों जो अपेक्षाकृत बेहतर शिक्षित होने के चलते अपनी जनसंख्या की बढोत्तरी पर नियंत्रण रखे हुए हैं? तीसरी बातः लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को 850 तक बढाये जाने के प्रावधान की क्या तार्किकता और कितनी आवश्यकता है? इसी तर्ज पर देश की तमाम विधानसभाओं में सदस्यों की बढोत्तरी भी होनी है। परिसीमन के इस फामूर्ले के तहत हिंदी भाषी सूबों की लोकसभा सीटों में 43.1फीसदी की बढोत्तरी होगी. लेकिन दक्षिण भारतीय सूबों की सीटों में महज 20.7 फीसदी की बढोत्तरी होगी. पूर्वोत्तर के राज्यों में यह बढोत्तरी 3.8 फीसदी होगी और पूर्वी प्रदेशों में 13.7 फीसदी! हमारे देश में सांसदों और विधायकों के लिए जो अपरंपार सुविधाएं मुहैय्या कराई जाती हैं; उसे देखते हुए क्या इतनी बडी संख्या-बृद्धि का फैसला राजकोष यानी जनता पर पर बोझ नहीं बढायेगा? अभी सभी विधानसभाओं की सदस्य संख्या 4120 के आसपास है। इसमें सबसे बडा इजाफा यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र ओर राजस्थान की विधानसभाओं में होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता काफी समय से कहते आ रहे हैं कि वे 'पिछड़ों' के एकमात्र हितैषी हैं. जब कभी पिछडे वर्ग के किसी नेता को वे किसी उल्लेखनीय सरकारी पद पर नियुक्त करते हैं या किसी वंचित या पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी सरकारी सम्मान से नवाजते हैं; फौरन बताने लगते हैं कि उनकी पार्टी पिछड़ों का कितना ख्याल रखती है? टोकेनिज्म यानी सांकेतिकवाद या प्रतीकवाद भाजपा का एक सियासी तरीका है. लोगों को फुसलाने में इससे आसानी होती है।

लेकिन जब किसी व्यक्ति की बजाय समूचे सिस्टम में पिछड़ों को महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देने या सामाजिक न्याय का वृहत्तर सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार न सिर्फ पीछे हट जाती है अपितु उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। किन्हीं कारणों से स्वयं 'सीधा विरोध' करने से परहेज करना होता है तो अपने परिवार के आनुषंगिक संगठनों के जरिये 'हिंदुत्वादी मिजाज' के लोगों को विरोध में उतार देती है। सन 1990 से लेकर आज तक भाजपा की यही 'लाइन' रही है। प्रधान मंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन का ऐलान किया तो भाजपा ने उनकी सरकार गिराने का प्रपंच कैसे रचा; यह सबको मालूम है। मंडल विरोधी प्रदर्शनों में उसके परिवारी संगठनों ने क्या किया था, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। 'देवरस थीसिस' पर मंडल के खिलाफ कमंडल को लाया गया। इसके लिए लालकृष्ण आडवाणी को शीर्ष नेता के तौर पर उभारा गया।

बिल्कुल ताजा उदाहरण है-वक्र्छरेगुलेशन मुद्दे के विरोध का! पहले रेगुलेशन का नया प्रारूप सामने आया। फिर उसका विरोध शुरू हुआ। कुछ हिंदी सूबों के बडे शहरों में प्रदर्शनों का तांता लग गया। इनके विरोध का प्रमुख मुद्दा क्या था: इस नियमावली में डइउ२ को क्यों शामिल किया गया? यह प्रावधान संसदीय समिति ने सुझाया था, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह जरूर थे लेकिन उस समिति में कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के नेता था। तब इस सिफारिश पर सबकी सहमति थी। लेकिन सरकार और संगठन के शीर्ष स्तर से हुक्म हुआ और माहौल पलट गया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सरकार ने वहां जो कुछ दलील दी, उसके बाद वक्र्छ रेगुलेशन पर रोक लग गई। हाल के कुछ वर्षों में सरकार रउ, रळ और डइउ के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के केंद्र और राज्यों के संस्थानों में में ठऋ यानी "इन वर्गों में कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिला" जैसे अनोखे क्लॉज का जितना इस्तेमाल हुआ है, उसकी कोई मिसाल नहीं! अब संसद के मौजूदा विशेष अधिवेशन को देखिये: पांच राज्यों की चुनाव प्रक्रिया चल ही रही थी कि सरकार ने अचानक परिसीमन विधेयक के साथ महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का मन बना लिया! दोनों को एक साथ जोडने का कोई मतलब नहीं था! दूसरी बात, महिला-आरक्षण में ओबीसी की महिलाओं के अलग कोटे की वर्षों से चली आ रही मांग को भी मोदी सरकार ने खारिज कर दिया। प्रधानमन्त्री मोदी ने पहले चुनावों के दौरान कहा था कि पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी से हैं। इस बार लोकसभा में मोदी जी ने 16 अप्रैल को कहा कि वह अति-पिछडे वर्ग से आते हैं! पर मोदी सरकार महिला-आरक्षण में ओबीसी महिलाओं का कोटा तय करने के बिल्कुल खिलाफ खड़ी है! क्यों? एससी-एसटी के साथ ओबीसी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करना न.सिर्फ संवैधानिक रूप से सही है अपितु इससे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को समावेशी, विविधतापूर्ण और संतुलित रखने में भी मदद मिलेगी! पर मोदी सरकार के 'उच्चवर्णीय हिंदुत्व' चश्मे से भारतीय समाज की महिलाओं में किसी तरह का वर्ग और वर्ण विभाजन नहीं दिखाई देता!

(लेख्क वरिष्ठ पत्रकार हैं)

चन्दौली के डॉ. अभिमन्यु पांडेय व डॉ.रिद्धि पांडेय ने रचा इतिहास

पीडीडीयू नगर(चन्दौली), 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)।विश्व होम्योपैथी दिवस जो सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है जिसके अवसर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स (चोलमॉन्डले कक्ष)में ह्होलिस्टिक वैज्ञानिक सम्मेलनह्का भव्य आयोजन किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विश्वभर से 150 से अधिक होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भाग लिया।इस प्रतिष्ठित मंच पर डॉ.अभिमन्यु पांडेय को ऑटोइम्यून बीमारियों पर किए गए उनके शोध कार्य एवं केस प्रस्तुतीकरण के लिए सम्मानित किया गया।उनके प्रस्तुत केस में एक ऐसी महिला का उल्लेख रहा,जो वाराणसी निवासी 16 वर्षीय रोहिणी को गंभीर बीमारी गिलियन-बार्रे सिंड्रोम और पॉलीरेडिक्युलोपैथी विथ माइलोपैथी के कारण अचानक चलने-फिरने में असमर्थता और असहनीय दर्द का सामना करना पड़ा। बड़े अस्पताल में कई दिनों तक आई सी यू में भर्ती रहने के बाद भी उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई।जरा सा हिलना डुलना तक दुश्वार था।महंगे इलाज के बाद भी कोई राहत नहीं मिली, साथ ही लगातार उल्टियाँ भी नहीं रूक रही थीं।इसी दौरान किसी मजार के बाबा ने डॉक्टर अभिमन्यु पाण्डेय का पता बताया ,जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर से मिलकर परामर्श लिया और होम्योपैथी उपचार शुरू कराया।केवल तीन खुराक में उल्टियाँ बंद हो गईं और धीरे-धीरे रोहिणी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा।कुछ महीनों के इलाज के बाद रोहिणी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं।आज उनका विवाह हो चुका है और वे

सफलतापूर्वक माँ भी बन चुकी हैं।यह मामला होम्योपैथी के प्रभावी परिणाम का उदाहरण माना जा रहा है।बताते चले कि यह सम्मान ब्रिटिश संसद की सदस्य शिवानी राजा एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया।सम्मेलन में ब्रिटिश पार्लियामेंट की सदस्य शिवानी राजा,लॉर्ड रावल, क्रिकेटर लॉर्ड एलिस्टर कुक, पूर्व क्रिकेटर डेविड गावर,स्टुअर्ट ब्रॉड तथा जोनाथन ट्रॉट सहित कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं।जिस होम्योपैथी को कभी कम आंका जाता था,आज वही चिकित्सा पद्धति वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रही है।डॉ.अभिमन्यु पांडेय की यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि उनके निरंतर परिश्रम,समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है।इसी कड़ी में उनकी पत्नी एवं प्रतिभाशाली होम्योपैथ चिकित्सक डॉ.रिद्धि पांडेय ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंफर्टिलिटी एवं महिला विकार विषय पर अपना विशेष केस प्रस्तुत किया।यह अवसर उन्हें उनके वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और विशेषज्ञता के आधार पर प्राप्त हुआ।डॉ. रिद्धि पांडेय का यह प्रस्तुतीकरण महिलाओं से जुड़ी जटिल बीमारियों के समाधान एवं जागरूकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके इस कार्य से न केवल चंदौली,बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन हुआ है। इस अवसर पर डॉ. रिद्धि पांडेय को लंदन में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव माइल्स स्टेसी द्वारा सम्मानित भी किया गया,जो उनके कार्य की वैश्विक सराहना का प्रतीक है।यह उपलब्धि–हर उस होम्योपैथ का सम्मान है,जिन्हें अक्सर छोटा डॉक्टर कहकर कम आंका जाता है,हर उस युवा की प्रेरणा है,जो छोटे गांव से निकलकर बड़े सपने देखते हैं,पूरे चंदौली,उत्तर प्रदेश और भारत के लिए गर्व का क्षण है,उन सभी शुभचिंतकों को समर्पित है, जिन्होंने इस यात्रा में सहयोग दिया।यह सम्मान उनके लिए केवल एक पुरस्कार नहीं,बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है।यह उन्हें और अधिक मेहनत करने,होम्योपैथी को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ आगे बढ़ाने तथा जटिल एवं असाध्य रोगों के उपचार में योगदान देने की प्रेरणा देता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करता

भदोही, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। नारी शक्ति वंदन अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यक्रम व नारी शक्ति वंदन विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद भदोही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सन्दर्भ में जागरूकता गोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, डॉ. ऋचा संस्कृत विभाग प्रभारी,डॉ. अंशु बाला राजनीति विज्ञान विभाग प्रभारी, डॉ. उष्मा यादव असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, डॉ. ज्योति यादव असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, अधिवक्ता बंदना यादव, की गरिमामयी उपस्थिति में विकास भवन सभागार में हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम, जिला प्रशासन व सूचना विभाग के सौजन्य से सम्पन्न हुआ। द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

नारी शक्तियों ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल राजनीतिक आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को नेतृत्व एवं निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी, जिससे नीति-निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को और अधिक प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह अधिनियम लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर स्थापित रूढ़िवादी धारणाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मविश्वास एवं प्रेरणा प्रदान करेगा।

भदोही में अभ्यस्त तीन साइबर फ्रॉडों पर पुलिस ने कसा अपना शिकंजा

भदोही, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)।संयुक्त पुलिस टीम ने बृहस्पतिवार को भी बड़ी सफलता हासिल करते हुए अभ्यस्त तीन साइबर फ्रॉडों अंशुल मिश्रा निवासी कांवल चकसिखारी ज्ञानपुर, मोहम्मद शोएब निवासी यादवपुर महासी सबलापुर बहराइच,कपिल रावत निवासी धरमंगत खेड़ा मोहनलालगंज लखनऊ को गोपीगंज ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पिलर नंबर 52 के सामने बस स्टैण्ड वेटिंग एरिया ब्रेंच से गिरफ्तार किया।एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि साइबर थाना पर आवेदक अमन कुमार बिन्द निवासी बालीपुर पुरानी कल्केट्री के सामने ज्ञानपुर द्वारा सूचित किया गया कि मुझे लोन की जरूरत थी तभी मुझे अस्तिव वर्मा उर्फ रौनक निवासी गोपीपुर ज्ञानपुर, अंशुल मिश्रा निवासी कांवल चक सिखारी ज्ञानपुर, ध्रुव पाठक निवासी जोरई ज्ञानपुर ने मिलकर मेरा व मेरी बहन का खाता खुलावाये तथा पासबुक, अळट कार्ड एवं लिंक मोबाइल नंबर का सिम मुझसे ले लिए। मुझे लगा कि मेरे साथ साइबर अपराध हो सकता है तो मैं उन लोगो से अळट लिंक सिम तथा पासबुक मांगा तो नहीं दिये बल्कि जान से मारने की धमकी देने लगे। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई। साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी निर्देश के क्रम में संयुक्त टीम ने गिरफ्तारी कर चार मोबाइल भी बरामद किया। अभियुक्तों ने स्वीकारा कि भदोही

जनपद के अलावा अन्य जनपदोऊ में ग्रामीण या भोले-भाले लोगों को सरकारी योजनाओं और सस्ते लोन का प्रलोभन देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे । खाता खुलने के बाद एटीएम कार्ड, पासबुक और बैंक से लिंक मोबाइल नंबर अपने कब्जे में ले लेते थे ताकि देश के किसी भी कोने से साइबर ठगी के जरिए जुटाया गया पैसा सीधे उन खातों में मंगाया जा सके। गिरोह के सदस्यों की जामातलाशी के दौरान इनके पास से कई मोबाइल फोन और अलग-अलग सिम कार्ड बरामद हुए जिनमें से अधिकांश इनके परिवार के सदस्यों जैसे पिता या भाई के नाम पर पंजीकृत थे। पूछताछ में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि अवैध रूप से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए मोहनलालगंज स्थित 'शशि फिलिंग स्टेशन' पेट्रोल पंप का इस्तेमाल करते थे। गिरोह का सदस्य कपिल रावत उसी पेट्रोल पंप पर काम करता था जहाँ वह ठगी के पैसों को एटीएम से निकालने के बजाय पंप की स्वाइप मशीन के जरिये फर्जी ट्रांजेक्शन कर कैश में बदल लेते थे। एक साल के भीतर उन्होंने पेट्रोल पंप और एटीएम के माध्यम से लगभग 10 लाख रुपये की निकासी कर आपस में बांट लिए हैं। गिरोह के वांछित सदस्यों की तलाश तेजी से हो रही है। पुलिस टीम में संतोष कुमार श्रीवास्तव, देवानन्द सिंह, कन्हैया कुमार सिंह, सदानन्द, प्रभातचंद्र त्रिपाठी, मानसिंह यादव, गणेश कौशल,चमन सिंह चावड़ा, राजकुमार पांडेय, नागेंद्र यादव, बृजेश सिंह सूर्यवंशी, धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मन्नू सिंह, दीपक यादव, हिमांशु सिंह, सुनील पाल, सुनील कनौजिया, प्रत्युष पाठक रहे।

वध हेतु ले जा रहे पशु बरामद,दो तस्कर गिरफ्तार

पीडीडीयू नगर(चन्दौली), 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। उच्चाधिकारीगण से प्राप्त निदेर्शानुसार थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा चन्द्रप्रभा डैम के पास जंगल से 06 गोवंश को पैदल हांककर वध हेतु क्रूरता पूर्वक एक दूसरे में बांध कर मारते पीटते बिहार ले जाते बरामद करते हुए 02 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे मिजार्पुर के ग्रामीण क्षेत्रों से सस्ते दामों में खरीदकर व घुमन्तु गोवंशो को हांककर जंगल में एकत्रित करते है और काफी संख्या में जब गोवंशो को एकत्र कर लेते है। वहाँ से इकट्ठा किये गये गोवंशो को पैदल हांक कर बिहार ले जाते है।पकड़े गए तस्करों में कन्हैया पुत्र स्व0 बिरजू निवासी ग्राम बोदलपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली व चन्द्रशेखर साहनी पुत्र बहादुर निवासी ग्राम प्रभुनारायनपुर जंगल चुडिया थाना चकिया जनपद चन्दौली निवासी बताए जाते हैं ।जिनपर पुलिस संबंधित धारा लगाते हुए अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई।

गलत दिशा में चलने वालों को नही रोकती पुलिस

गोपीगंज, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए जागरुकता अभियान चलाने वाली पुलिस ड्यूटी के दौरान खुद इसकी अनदेखी करती हैं,जिसका खामियाजा पैदल चलने वाले राहगीर भुगतते है,सामने तेजगति से आ रहे वाहन को देख सड़क पार करते समय महिला पुरुष या बच्चे राग साइड घुसे बाइक या अन्य वाहन की चपेट में आ जाने से घायल हो जाते हैं,राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपीगंज नगर मे गोपेश्वरनाथ मंदिर बड़ा चौराहा व शहीद तिराहा पर याता यात व्यवस्था सुचारु बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती हैं,ड्यूटी मे लगे पुलिस के साथ चार से पांच होमगार्ड के जवान भी शामिल होते हैं जो बेतरतीब खड़े आटो व नियमों की अनदेखी करने वालों को देखते हुए भी मूक दर्शक बने रहते है,जिसके चलते आए दिन लोग घायल हो जाते हैं,राग साइड चलने वालों पर कार्रवाई कर पुलिस आए दिन होने वाली दुर्घटना को रोक सकती है। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर उन्हें रोक कर गलती का एहसास भी नही कराती ताकि आगे नियमों की अनदेखी न करे।

पुलिस अधीक्षक ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं

पीडीडीयू नगर(चन्दौली), 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक चन्दौली आकाश पटेल ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया। जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों के आवेदन लेकर उन्हें न्यायोचित/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारित करना व न्याय दिलाना ही चन्दौली पुलिस की प्राथमिकता है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थानाक्षेत्रों से आए आवेदकों की शिकायतो को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरतापूर्वक सुना एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी (पुलिस)थाना प्रभारी से स्वयं वार्ता कर आवेदक की शिकायत का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया।पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों/आवेदकों/फरियादियों के साथ शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार किया जाए व प्रत्येक आवेदक की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनकर गुण दोष के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाए।पुलिस अधीक्षक द्वारा जनसुनवाई के दौरान कुल-24 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।जिनके निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर डी श्रेणी,कर-करेत्तर, राजस्व कार्यो एवं राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित डीएम ने की समीक्षा बैठक

भदोही, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)।कर-करेत्तर, लम्बित रिट याचिकाओं, राजस्व कार्यो एवं राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर डी श्रेणी की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी शैलेष कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ किया गया।

जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया कि अमीन वाईज वसूली की समीक्षा करें। सभी निकायों के अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम स्वानिधि व अन्य मदों में वसूली कर राजस्व रैंकिंग में सुधार करें।5 साल से अधिक पुराने वादों का ₹न्यायालय आपके द्वार₹ लगाकर स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार को 05 साल से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित करनें का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों के उपस्थित पेशकारों को ब्रीफ किया कि वादों का एजेंडा, रिपोर्टिंग, टिप्पणी सही ढंग से सुस्पष्ट व तार्किक करें।डीएम ने समस्त एसडीएम व तहसीलदार को कड़े निर्देश दिए कि आरसी की वसूली प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित कराये।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस की समीक्षा में असंतुष्ट फीडबैक शिकायतकर्ता से सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए लगकर निस्तारित कराते हुऐ रैंक सुधार पर जोर दिया।

हैसियत नामा में लम्बित आवेदनों को प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए निस्तारण का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया।जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत डिल्फाटर श्रेणी में न हो, समय रहते शिकायत का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें, नही तो कठोर कार्यवाही होगी। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अधिकारी राजस्व वसूली में हिला-हवाली करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।वसूली कार्य शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने परिवहन, आबकारी, राजस्व, अधिशासी अधिकारी, खनन आदि विभागों को अभियान चलाकर लक्षित राजस्व वसूली किये जाने पर बल दिया।

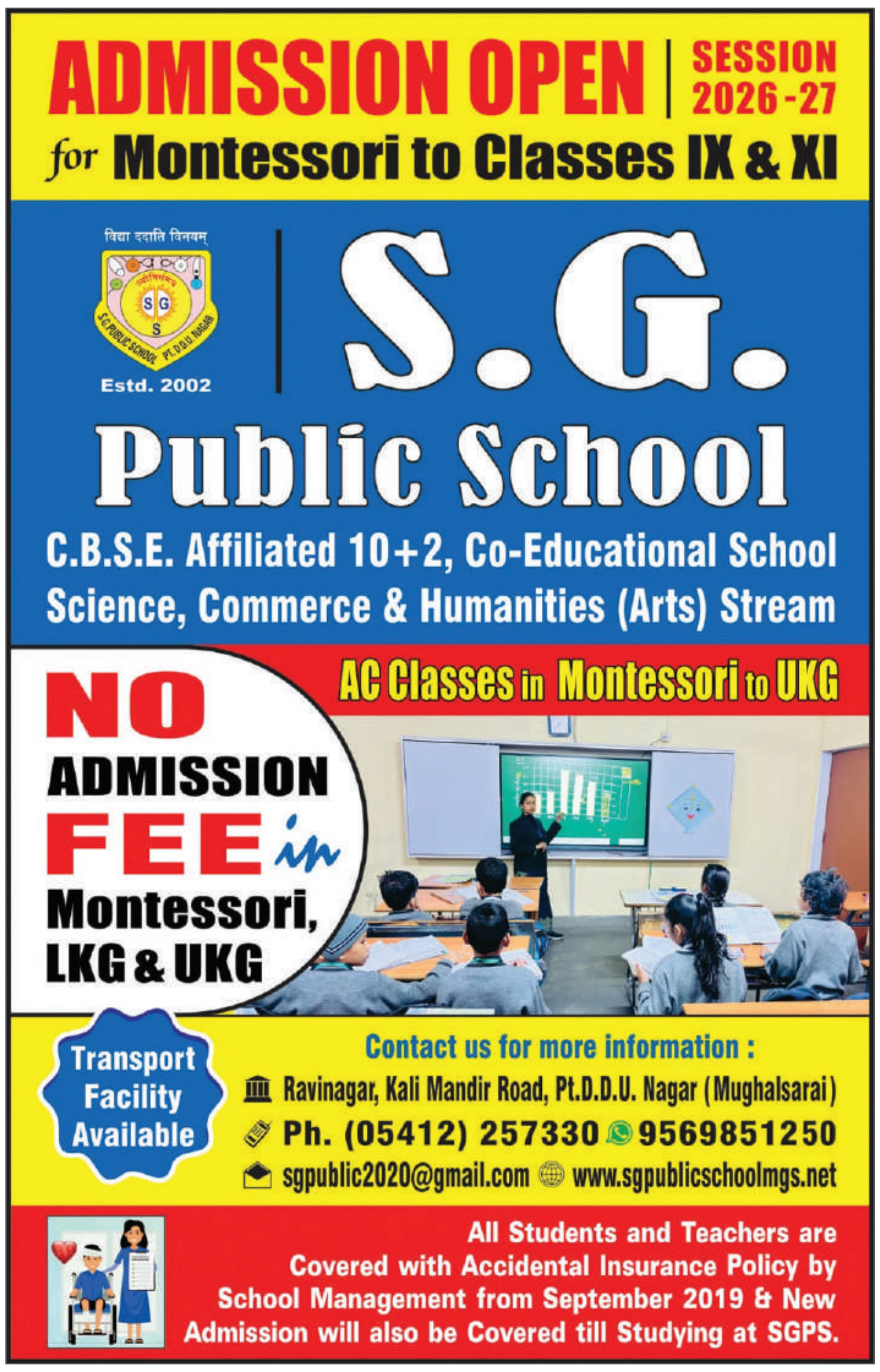

ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत

पीडीडीयू नगर(चन्दौली), 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। अलीनगर थाना क्षेत्र के सरेसर गांव के समीप डीडीयू पटना मेन लाइन पोल संख्या 1074 के पास एक महिला का आते-जाते लोगों ने शव देखा जिसे वहां सनसनी व्याप्त हो गई जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई। मृतका का नाम राजमनी देवी 48 वर्षीय भोगवार कोतवाली मुगलसराय निवासी बताया जाता है चर्चाओं के अनुसार मृतक महिला मानसिक रूप से बीमार चल रही थी जिसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।

रिक्शा चालक गरीब, जरुरतमंद,बेसहारा लोगो में केला व जूस का किया वितरण

पीडीडीयू नगर(चन्दौली), 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। इंडियन रोटी बैंक का सपना,भूखा न सोये कोई अपना के संकल्प लिए इंडियन रोटी बैंक मुगलसराय चंदौली के सदस्य खुर्शीद एवं विकास मेरे सहयोगीयों के सहायता से गुरुवार को भीषण गर्मी में रिक्शा चालक, गरीब, जरुरतमंद,बेसहारा लोगो को टीम ने केला एवं जूस का इन्तजाम करके वितरण किया। जो लोग सफर में हो या जो जरुरतमंद को खाने के लिए केला और पिने के लिए जूस वितरण किया गया। मुगलसराय पड़ाव चन्दौली टीम ने भी वहा पहुंच कर लोगो को वितरण करने में सहयोग किया।इस सम्बंध में शोएब खान -जिला कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आप सभी लोगो के सहयोग से हम आगे भी टीम अपना काम निःस्वार्थ करती रहेगी आप का हर सहयोग हमारी हिम्मत और ताकत है इस लिए सहयोग जरूर करें।इस अवसर पर शोएब खान जिला कोऑर्डिनेटर,शहला शाहाब महिला कोऑर्डिनेटर,डॉ हाजी हुजैफा,डॉ गुंजन गौरव,डॉ.अलिफ रजा, मोहसिन आजम, फरमान अहमद, फैयाज अंसारी, मोहम्मद हुसैन, शाहरुख खान,नूर मोहम्मद,सरफराज अहमद अन्य मौजूद रहे।

दुकान में घुसकर मारपीट, शीशा तोड़ा, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गोपीगंज, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। नगर के चुड़ीहारी मोहल्ला वार्ड नंबर 20 निवासी मोहम्मद अयाज ने आरोप लगाया कि उनके भाई सेबू, जो सेमराधनाथ रोड स्थित कवलापुर धोबियान के पास किराये के कमरे में लेडीज सिंगार की दुकान चलाते हैं, को एक युवक द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। पीड़ित के अनुसार ग्राम कवलापुर निवासी किसन उपाध्याय आए दिन दुकान पर पहुंचकर गाली-गलौज करता था। आरोप है कि बुधवार दोपहर करीब एक बजे आरोपी दुकान में पहुंचा और शरारत करने लगा। विरोध करने पर उसने हाथ, घूंसे तथा लाठी-डंडे से सेबू की पिटाई कर दी, जिससे उसकी आंख में चोट लग गई। इतना ही नहीं, जाते समय आरोपी ने ईंट चलाकर दुकान का शीशा भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घर में घुसकर मां-बेटी से मारपीट, जान से मारने की धमकी मामला दर्ज

गोपीगंज, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)।थाना क्षेत्र के बिहरोजपुर गांव में सोमवार शाम पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मां-बेटी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता आरती तिवारी पत्नी विष्णुचरण तिवारी ने आरोप लगाया कि गांव के ही महेश तिवारी, पूनम तिवारी और कृष्णा तिवारी लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पुत्री तृप्ती को भी आरोपियों ने पीट दिया। घटना के बाद जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही में जुटी।

साड़ी खरीदारी के दौरान महिला के बैग से डेढ़ लाख के करीब जेवर पार

गोपीगंज, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। नगर के बड़े चौराहा स्थित एक वस्त्रालय में साड़ी खरीदारी के दौरान महिला के बैग से करीब 1.30 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया है।पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी पत्नी और भाभी शादी की खरीदारी करने दुकान गई थीं। बिल भुगतान के समय बैग में रखा सोने का मंगलसूत्र और मनचली गायब मिले। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने दुकान का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें एक अज्ञात महिला बैग से सामान निकालते हुए दिखाई दी। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खड़ी बस में ट्रेलर ने मारी टक्कर, छह महिलाएं घायल

गोपीगंज, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। लालानगर टोल प्लाजा के समीप सड़क किनारे खड़ी तीर्थयात्रियों से भरी बस में पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे बस के सामने खड़ी पांच से छह महिलाएं घायल हो गईं। सभी घायलों को सरकारी एंबुलेंस से उपचार के लिए भेजा गया। आंध्र प्रदेश निवासी बस चालक सी. कुलायप्पा ने बताया कि वह 40 तीर्थयात्रियों को लेकर काशी दर्शन के बाद प्रयागराज जा रहे थे। शाम होने पर बस को लालानगर टोल प्लाजा के पास खड़ा किया गया था।इसी दौरान पीछे से आए ट्रेलर ने लापरवाहीपूर्वक बस में जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक अभिषेक कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मिर्जापुर में 24-26 अप्रैल तक बंद रहेंगे कोर्ट

मिर्जापुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। मिजार्पुर के सभी न्यायालय 24, 25 और 26 अप्रैल 2026 को तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे। यह अवकाश 'न्यायिक अधिकारी खेलकूद प्रतियोगिता' के आयोजन के कारण घोषित किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, 24 और 25 अप्रैल को विशेष अवकाश रहेगा। 26 अप्रैल को रविवार होने के कारण न्यायालय स्वतः बंद रहेगा। इन तीन दिनों के दौरान सभी न्यायिक कार्य पूरी तरह स्थगित रहेंगे। यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय, चुनार स्थित सिविल जज कोर्ट, ग्राम न्यायालय लालगंज और मड़िहान न्यायालयों पर भी लागू होगा। इस अवधि में इन सभी न्यायालयों में कोई भी नियमित न्यायिक कार्य नहीं होगा। हालांकि, 24 और 25 अप्रैल के दो कार्य दिवसों की भरपाई के लिए उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक तिथियां निर्धारित की हैं। इसके अनुसार, 26 सितंबर 2026 और 24 अक्टूबर 2026 (चौथा शनिवार) को न्यायालय खुले रहेंगे। इन दिनों सामान्य कार्य दिवस की तरह न्यायिक कार्य संपादित किए जाएंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि न्यायिक कार्यों के संचालन में कोई असुविधा न हो।

टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, चैंपियनों की बैठक हुई

मिर्जापुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। मिजार्पुर के कछवा क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से टीबी चैंपियनों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कार्यक्रम की प्रगति और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई।बैठक के दौरान, सतीश यादव ने उपस्थित टीबी चैंपियनों से विद्यालयों, ग्राम सभाओं, सब सेंटरों, टीकाकरण स्थलों और सार्वजनिक चौराहों पर चलाए जा रहे जागरूकता और पहचान अभियान की जानकारी ली। उन्होंने टीबी उन्मूलन के लिए चैंपियनों द्वारा किए जा रहे निस्वार्थ कार्यों की सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। सतीश यादव ने वर्तमान में संचालित 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने चैंपियनों से आग्रह किया कि वे अपने आसपास के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों में भी संभावित टीबी मरीजों की पहचान करें और उन्हें उपचार से जोड़ने का प्रयास करें।

विहिप का धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन

मिर्जापुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। मिजार्पुर में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने अवैध धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी कठोर कानून बनाने की मांग की है। संगठन ने 'लव जिहाद' को विदेशी फंडिंग मिलने पर भी चिंता व्यक्त की। इस संबंध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया।संगठन के विभाग मंत्री रामचन्द्र शुक्ल ने कहा कि हाल के दिनों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कथित धर्मांतरण और 'लव जिहाद' से जुड़े मामलों की खबरें सामने आ रही हैं, जो चिंताजनक हैं। उन्होंने विशेष रूप से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के नासिक प्रकरण का उल्लेख किया और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

सिंगरौली में दिनदहाड़े बड़ी बैंक डकैती

5 बदमाशों ने फायरिंग कर लूटे 35 लाख, मैनेजर के सिर पर बंदूक की बट से किया हमला

शक्तिनगर/बैढ़न , 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। जिले के मुख्यालय बैढ़न में शुक्रवार दोपहर सशस्त्र बदमाशों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में धावा बोलकर सनसनी फैला दी। पांच हथियारबंद बदमाशों ने करीब 20 मिनट तक पूरे बैंक को बंधक बनाए रखा और फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए करीब 30 से 35 लाख रुपये की नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने बैंक मैनेजर के सिर पर बंदूक की बट से प्रहार कर उन्हें लहुलुहान कर दिया।

घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। चश्मदीद आशीष पांडे के अनुसार, जब वे अपनी पत्नी के साथ बैंक में काम करा रहे थे, तभी अचानक दो हथियारबंद बदमाश अंदर दाखिल हुए। इसके कुछ ही मिनटों बाद उनके तीन और साथी अंदर पहुंच गए। बदमाशों ने वहां मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों पर बंदूक तान दी, जिससे बैंक परिसर में चीख-पुकार मच गई। लुटेरों ने सभी को एक कोने में बंधक बना लिया।

पुलिस अधीक्षक (रढ) मनीष खत्री के अनुसार, बदमाशों ने बैंक मैनेजर से तिजोरी की चाबियां मांगी। जब मैनेजर ने आनाकानी की, तो बदमाशों ने उनके साथ जमकर मारपीट की और बंदूक की बट से उनके सिर पर वार किया। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने एक राउंड फायर भी किया। बदमाश करीब 20 मिनट तक बैंक के अंदर उत्पात मचाते रहे और अंत में नकदी से भरी एक पेटी व सोना-चांदी लेकर फरार हो गए।शुरूआती जानकारी के अनुसार, लुटेरे करीब 30 से 35 लाख रुपये का माल ले गए हैं। एसपी ने बताया कि बैंक में करीब 14.50 लाख रुपये पिछले दिन के रखे थे और बाकी शुक्रवार का कलेक्शन था। इसके अलावा लॉकर से सोना-चांदी भी ले जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है।जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि वारदात के समय बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। इसी का फायदा उठाकर बदमाश आसानी से अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों और बैंक कर्मचारियों के बयान दर्ज कर रही है।

बैंक के सामने स्थित एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में तीन आरोपी एक ही बाइक पर बैठकर बैढ़न शहर की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। फुटेज में एक बदमाश हेलमेट पहने हुए है, जबकि बाकी चार के चेहरे खुले थे। वारदात की खबर मिलते ही एसपी मनीष खत्री दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और जिले के सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। लुटेरों की तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।

तीन किसानों की गेहूं की फसल जली

भांवरकोल/गाजीपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। क्षेत्र के पलिया बुजुर्ग गांव के पश्चिम सिवान में लगी भीषण आग से बटाईदार सहित तीन किसानों की लगभग एक से डेढ़ बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के अनुसार, बिजली के तार पर बैठी एक चिड़िया करंट की चपेट में आ गई, जिससे निकली चिंगारी खेत में गिरते ही आग भड़क उठी।

बैढ़न में दिन दहाड़े बैंक डकैती के बाद यूपी-एमपी बॉर्डर पर हाई अलर्ट

बीजपुर/सोनभद17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। मध्यप्रदेश के बैढन में दिनदहाड़े हुई बैंक लूट की वारदात के बाद उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हड़कंप मच गया है। लुटेरों के उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होने की सूचना मिलते ही बीजपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है।घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने मध्यप्रदेश सीमा से सटे सिरसोती बॉर्डर सहित सभी प्रमुख रास्तों की घेराबंदी कर दी है। आने-जाने वाले हर वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है।पुलिस सूत्रों के अनुसार ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बैंक लूटने के बाद बदमाश उत्तर प्रदेश के बीजपुर की ओर भागे हैं।?बीजपुर थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर है।?बैढन में हुई बैंक लूट के बाद पुलिस चप्पे-चप्पे की निगरानी कर रही है। संदिग्धों की धरपकड़ के लिए सिरसोती स्थित मध्यप्रदेश बॉर्डर और अन्य गुप्त रास्तों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।अपराधियों को किसी भी कीमत पर भागने नहीं दिया जाएगा।बीजपुर और आसपास के इलाकों में बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है।सीमावर्ती क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।जंगलों और सुनसान रास्तों पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है।

फिलहाल पुलिस बदमाशों के हुलिए और भागने की दिशा को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस से लगातार संपर्क में है।इस सघन चेकिंग अभियान के कारण बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कोई भी ढील बरतने के मूड में नहीं है।

गाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई को

गाजीपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निदेर्शानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09.05.2026 को जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियाँ व जमानियाँ के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा। नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई. एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

एनसीएल खड़िया परियोजना में आवासों पर अवैध कब्जा आखिर जिम्मेदार कौन, परियोजना प्रबंधक मौन

शक्तिनगर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। एन.सी.एल.की खड़िया परियोजना अंतर्गत स्थित सर्वे ऑफ कॉलोनी में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। यह कॉलोनी मूल रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में यहां अधिकांश आवासों पर अनधिकृत लोग वर्षों से काबिज हैं।जानकारी के अनुसार, परियोजना के व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र और कोयला गुणवत्ता जांच केंद्र के पास स्थित इस कॉलोनी में लगभग पांच दर्जन से अधिक आवास हैं। इनमें से केवल डेढ़ दर्जन के आसपास ही डाकघर कर्मी, बैंक कर्मी, विद्यालय कर्मी, दुकानदार ही अधिकृत निवास कर रहे हैं, जबकि शेष आवासों पर सुरक्षा कर्मियों सहित अन्य लोग कब्जा जमाए हुए हैं। ये सभी लोग कंपनी के आवासों के साथ-साथ बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। पूर्व महाप्रबंधक अमरनाथ पांडे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक विभाग और सुरक्षा विभाग को सख्त निर्देश दिए थे कि अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिजली-पानी काटा जाए और

आवास खाली कराए जाएं। इसके तहत संबंधित आवासों पर नोटिस चस्पा किए गए और लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी भी कराई गई थी। लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई अनधिकृत कब्जाधारियों ने अपने आधार नंबर का उपयोग कर केंद्र सरकार की हर घर नल-जल योजना के तहत पानी के कनेक्शन भी ले लिए हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या परियोजना का कार्मिक विभाग और सुरक्षा विभाग इस पूरे मामले से अनजान हैं या फिर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या स्वार्थ निहित है? यह स्थिति न केवल कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि वास्तविक कर्मचारियों के अधिकारों का भी हनन कर रही है। ऐसे में आवश्यक है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और अवैध कब्जों को हटाकर पात्र कर्मचारियों को उनका हक दिलाया जाए।

एनटीपीसी में मास्टरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप कार्यशाला का समापन

सिंगरौली, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। ऑन्टोलॉजिकल लीडरशिप फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रमुख कार्यक्रम मास्टरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का सफलतापूर्वक समापन 15 एवं 16 अप्रैल 2026 को एनटीपीसी सिंगरौली में हुआ। यह कार्यशाला मध्य एवं वरिष्ठ नेतृत्व के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक परिवर्तन, नैतिक नेतृत्व एवं विजन-आधारित संस्कृति निर्माण पर गहन विचार-विमर्श हुआ। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के निदेशक एवं पूर्व कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन), एनटीपीसी लिमिटेड श्री ए. एन. वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आज के जटिल और परिवर्तनशील कार्य-परिदृश्य में नेतृत्व केवल निर्णय लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और मूल्यों से संचालित होता है। उन्होंने ऑन्टोलॉजिकल सिद्धांतों के माध्यम से नैतिक एवं प्रभावशाली निर्णय-निर्माण, एडैप्टिव लीडरशिप के महत्व, तथा विजन-ड्रिवन संस्कृति के निर्माण पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के अनुरूप नेतृत्व कौशल विकसित करने, संवाद की स्पष्टता बनाए रखने तथा संगठनात्मक परिवर्तन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम के दौरान आयोजित इंटरैक्टिव सत्रों, सिमुलेशन, केस स्टडी एवं समूह प्रस्तुतियों ने प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया। प्रतिभागियों ने अपने फीडबैक में कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी, प्रासंगिक एवं प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि इससे प्राप्त सीख उनके दैनिक नेतृत्व कार्यों में तुरंत लागू की जा सकेगी। उन्होंने विशेष रूप से कार्यक्रम की सहभागितापूर्ण शैली और वास्तविक उदाहरणों को अत्यंत प्रभावशाली बताया। कार्यक्रम के शुभारंभ में श्री संदीप नायक, परियोजना प्रमुख एवं कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी सिंगरौली ने अपने संदेश में कहा कि एनटीपीसी सिंगरौली जैसे बड़े एवं गतिशील परियोजना में परिवर्तनकारी नेतृत्व की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस प्रकार की कार्यशालाओं को समय की मांग बताते हुए कहा कि इससे न केवल नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, बल्कि संगठन को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री सिद्धार्थ मंडल, मानव संसाधन प्रमुख, एनटीपीसी सिंगरौली ने कहा कि यह कार्यशाला केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं, बल्कि नेतृत्व दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन का एक सशक्त मंच है। उन्होंने प्रतिभागियों को प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में उतारने, टीमों को प्रेरित करने तथा संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ स्वयं को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार के कार्यक्रम संगठन में नवाचार, सहयोग एवं उत्कृष्टता की संस्कृति को सुदृढ़ करते हैं।कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. ओम प्रकाश, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा किया गया एवं प्रतिभागियों को प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान के अनुपालन पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के संयोजन में श्री राहुल प्रसाद, उप महाप्रबंधक, कर्मचारी विकास केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके समन्वय एवं सक्रिय सहयोग से कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित हुआ।

तीन माह में 63.54 लाख का राजस्व, सिंगरौली आरटीओ चेकपोस्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड

सिंगरौली, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)।जिले के चेकपोस्ट ने बीते तीन माह में शासकीय राजस्व संग्रह के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस त्रैमासिक अवधि में कुल 63,54,300 का राजस्व संग्रह किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दशार्ता है।राजस्व संग्रह में डिजिटल माध्यमों की भूमिका काफी अहम रही। कुल राशि में से 50,89,500 ऑनलाइन माध्यम से तथा 12,64,800 ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के प्रयास सफल हो रहे हैं। इस उपलब्धि के पीछे जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के मार्गदर्शन और चेकपोस्ट प्रभारी विभा उइके के नेतृत्व को प्रमुख कारण माना जा रहा है। प्रभारी उइके ने सख्त प्रशासनिक रणनीति अपनाते हुए टीम को अनुशासित रखा और

चेकिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाया, जिससे राजस्व में निरंतर वृद्धि संभव हो सकी। चेकपोस्ट पर अवैध रूप से संचालित वाहनों, बिना परमिट एवं ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जनजागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिला है।परिवहन विभाग का कहना है कि आगे भी इसी तरह सघन जांच अभियान जारी रहेगा, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो और शासकीय राजस्व में लगातार वृद्धि होती रहे।

पुरानी रंजिश में हत्या, सरई पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार

सिंगरौली, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)।थाना सरई क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।जानकारी के अनुसार, ग्राम गन्नई निवासी बनवारी लाल बियार पर 13 अप्रैल की शाम बकरी चराने के दौरान कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ का द्विवर्षीय अधिवेशन सम्पन्न

गाजीपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश जनपद शाखा गाजीपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन/चुनाव उक्त कार्यालय परिसर मे संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं यात्री कर अधिकारी लव कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें आमन्त्रित अतिथियों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जिला शाखा द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विरोध पूरी करने हेतु राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष इं सुरेन्द्र प्रताप एवं जिला मंत्री बैज नाथ तिवारी ने मुक्त कण्ठ से सराहना की, संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लव कुमार सिंह ने अपने सदस्यों को आपसी मतभेद भुला कर संगठन में तन मन धन से सहयोग करने का अनुरोध किया, अधिवेशन के मुख्य अतिथि एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष (संरक्षक) अम्बिका दूबे ने संगठन द्वारा परिषद को अनवरत सहयोग करने एवं पदाधिकारियों के सम्मान के लिए हृदय से धन्यवाद प्रकट किया, अधिवेशन को परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष द्वय सुभाष सिंह, अरुण सिंह, धर्मेंद्र यादव धीरू, बृजेश यादव, ,मनोज यादव, महेंद्र सोनकर, संजय सिंह, नसीम अहमद, अरुण कुमार आदि ने संबोधित किया, नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ मुख्य अतिथि अम्बिका दूबे ने दिलाई, नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष राजेश सिंह जिला मंत्री संजय सिंह ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम

गाजीपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आज जिला मुख्यालय के रायफल क्लब, कलेक्टेज्ट सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम (प्रेस वार्ता) का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिष्ठित महिलाओं ने प्रतिभाग किया और अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में महिलाओं ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस अधिनियम को देश में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं परिवर्तनकारी कदम बताया।

प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं ने नारी वंदन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नारी वंदन कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति या विज्ञान का क्षेत्र हो। ऐसे में समाज का दायित्व है कि उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाएं और उनके योगदान को उचित सम्मान दिया जाए।इस अवसर पर डॉ ऋचा राय (साहित्कार) ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी प्रदान करने की दिशा में एक मील

का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है, जिसे संतुलित करने के लिए यह अधिनियम अत्यंत आवश्यक था। यह कानून महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाएगा।

डॉ0 बीती सिंह (चिकित्सक) ने कहा कि इस अधिनियम से महिलाओं को समाज में सम्मान और पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं निर्णय लेने वाले पदों पर पहुंचेंगी, तो स्वास्थ्य, पोषण और महिला कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे समाज का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। उन्होने कहा कि यह अधिनियम केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के प्रति सोच और दृष्टिकोण को भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलेगी और वे आत्मविश्वास के साथ समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। शिक्षा क्षेत्र से श्रीमती विभा श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति निर्माण में संवेदनशीलता आएगी, जिससे महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों को बेहतर ढंग से समझा और हल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भविष्य में एक सशक्त एवं समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली आयोजित

भांवरकोल/ गाजीपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। शुक्रवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र भांवरकोल पर स्कूल चलो अभियान के तहत भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करना और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना रहा। खण्ड शिक्षा अधिकारी रवीन्द्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। ई-रिक्शा पर साउंड सिस्टम व बैनर के साथ रैली निकाली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब सभी बच्चे नियमित विद्यालय आएंगे। रैली में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, छात्र-छात्राएं और कर्मचारी शामिल हुए। बच्चों ने (सब पढ़ें, सब बढ़ें), (बेटी पढ़ाओ, देश बढ़ाओ) जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया। रैली बीआरसी से निकलकर विभिन्न गांवों से होते हुए पुनः वहीं समाप्त हुई। समापन पर सभी ने संकल्प लिया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। कार्यक्रम में एआरपी, शिक्षक व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। रैली सफलतापूर्वक संपन्न हुई और शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश दिया गया।

भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस कार्यक्रम 19अप्रैल को उसरी में

करीमुद्दीनपुर (गाजीपुर), 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। भारतीय ब्राह्मण समिति के तत्वावधान में भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस (जन्मोत्सव) समारोह कार्यक्रम 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार पूर्वाह्न 10 बजे से समिति उपाध्यक्ष सुरेश उपाध्याय के ऊसरी स्थित आवास के सभागार में आयोजित है, आप ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का कष्ट करें। उक्त जानकारी समिति अध्यक्ष विजय शंकर तिवारी व महामंत्री अशोक कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि उसी दिन सुबह से ही ककरही नारायणपुर (सैदपुर) स्थित भगवान परशुराम मन्दिर परिसर में पूजन अर्चन, हवन एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित है जिसकी व्यवस्था डा0 इंद्रजीत पाण्डेय, राजकुमार पाण्डेय (एडवोकेट)एवं समिति उपाध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र व सतीश तिवारी देखेंगे।

पिकअप के धक्के से साइकिल सवार की मौत, ग्रामीणों ने हाइवे जाम किया

गाजीपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। शहर कोतवाली क्षेत्र के वाराणसी- गोरखपुर हाइवे के शेखपुर गांव महाराजगंज बाईपास पर शुक्रवार की सुबह 6 बजे पिकअप से कुचलकर साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई।इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवे जाम कर दिया।जाम लगते ही दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के समझने के बखद भी ग्रामीण शव उठाने नहीं दे रहे है। मौके पर शहर कोतवाल महेंद्र सिंह व महाराजगंज चौकी इंचार्ज युगल किशोर राय के काफी समझाने के बाद भी जाम हटाने को राजी नहीं हुए। ग्रामीणों का कहना है कि चालक सहित पिकअप को पकडा जाय। बताया जाता है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के करीमाबाद (सोनहरिया)गांव निवासी ईशु नट (60) शेखपुर गांव के पास कट से साइकिल से रोड क्रास कर रहे थे।तभी तेज रफ्तार से जा रही पिकअप के चपेट में आने से कुचल कर मौत हो गई। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई।गुस्साए ग्रामीणों ने हाइवे जाम कर दिया। ग्रामीण उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाने के लिए जिद करते रहे। जानकारी होने पर एसडीएम मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को आश्वासन दिये।इसके बाद जाम समाप्त हुआ।घंटो बाद यातायात शुरू हुआ।

दो बाईकों के आमने सामने टक्कर में तीन युवकों की मौत, तीन घायल

सादात/गाजीपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। स्थानीय थाना क्षेत्र के टाड़ा गांव के पास दो बाइकों की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई और तीन युवक घायल हो गए। घटना में मुबारकपुर हरतरा निवासी शनि कुमार, दीपक यादव और आसपुर खुमिया निवासी विजय उर्फ रोलू राजभर मौत हो गई। तीन घायलों में शुभम कुमार की हालत ज्यादा गंभीर है उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष पन्ने लाल यादव ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 11 बजे एक ही बाइक पर सवार होकर मुबारकपुर हरतरा गांव निवासी 17 वर्षीय शनि कुमार, 17 वर्षीय दीपक यादव और 16 वर्षीय शुभम कुमार शादियाबाद स्थित एक मजार पर लगे उर्स मेला को देखने जा रहे थे। उसी समय शादियाबाद से वही उर्स मेला देखकर आसपुर खुमिया निवासी 18 वर्षीय विजय उर्फ रोलू राजभर और 22 वर्षीय अखिलेश राजभर तथा अजीत राजभर एक ही बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इन दोनों बाइकों की जबर्दस्त टक्कर टाड़ा चट्टी पर आमने सामने हुई। टक्दोकर में दोनों मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई और तीन युवक घायल हो गए। सूचना पर सादात थानाध्यक्ष पन्ने लाल यादव और बहरियाबाद थानाध्यक्ष बृजेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शनि, विजय और दीपक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुबारकपुर हरतरा निवासी मृतक शनि कुमार के पिता चन्द्रशेखर राम खेती किसानी करके किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं। मृतक 12 वीं कक्षा में पढ़ता था, जबकि उसका छोटा भाई समर सातवीं में पढ़ता है। पिता चंद्रशेखर राम और माता रेनू देवी का रो रोकर बुरा हाल रहा।सड़क हादसे में शनि के साथ जान गंवाने वाले दीपक यादव के पिता हजारी यादव वाराणसी में ड्राइवर हैं। चार भाई और एक बहन में दीपक दूसरे नम्बर पर था। बड़े भाई पंकज, बहन माधुरी, भाई किशन, गोपाल, माता राधिका देवी का रो रोकर बुरा हाल रहा। वहीं दूसरी बाइक सवार विजय उर्फ रोलू राजभर के पिता लालचंद्र राजभर के चार पुत्रों में विजय सबसे छोटा था।बड़ा भाई राजकुमार, शिवकुमार, अजय, माता निर्मला देवी का रो रोकर बुरा हाल रहा। उसके साथ घायल गांव के ही युवक अखिलेश राजभर और अजीत को हल्की चोट लगी। सड़क हादसे में गम्भीर रूप से घायल युवक शुभम कुमार का वाराणसी के ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। शुभम के पिता मनोज कुमार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। शुभम इंटरमीडिएट में पढ़ता है। उसकी बहन किंजल और छोटा भाई शिवम है।

प्रधान मंत्री किसान निधि योजना से 62,638 अपात्र हटाये

जौनपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 62,638 अपात्र लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। जांच में सामने आया कि पति-पत्नी, नाबालिग और मृतक भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। इस कार्रवाई के बाद जिले में लाभार्थियों की कुल संख्या 8 लाख 79 हजार 300 से घटकर 8 लाख 16 हजार 662 हो गई है।योजना के शुरूआती चरण में बड़ी संख्या में अपात्र व्यक्तियों ने पंजीकरण करा लिया था। अब जांच के बाद ऐसे अपात्रों की पहचान कर उनके नाम पोर्टल से हटाए जा रहे हैं। पात्रता की जांच के लिए गांवों में शिविर लगाए गए और सूची का मिलान किया गया। इस प्रक्रिया में 29 हजार मृतकों के नाम भी सूची से हटाए गए हैं, जिनके परिवारों ने मृत्यु की सूचना विभाग को नहीं दी थी। इसके अलावा, लगभग 22 हजार ऐसे लाभार्थी हैं जिनके आधार कार्ड में गड़बड़ी पाई गई है, जिस कारण उनकी धनराशि रोक दी गई है।उप परियोजना निदेशक आत्मा, डॉ. रमेश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अपात्रों के नाम हटाए गए हैं और सत्यापन प्रक्रिया अभी भी जारी है।

सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रखने का निर्देश-जिलाधिकारी

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने की अभियोजन एवं कानून व्यवस्था की मासिक समीक्षा बैठक

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों एवं कानून व्यवस्था की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।

अपर निदेशक अभियोजन सीके राय ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत भा0द0वि0 धारा में कुल 157 वाद निस्तारित, 77 में सजा, 16 की रिहाई एवं 33 में सुलह हुआ। अन्य अधिनियम में 253 वाद निस्तारित,सजा 250 इसके अलावा सत्र न्यायालय डीजीसी संवर्ग में भा0द0वि0 धारा में 18 मामले निस्तारित, 6 में सजा एवं 12 रिहा हुए, अन्य अधिनियम में 01 निस्तारण 01 रिहा, एससी एसटी एक्ट में 02 निस्तारण 02 सजा, गिरोहबंद अधिनियम में 03 निस्तारण 02 रिहा, पास्को अधिनियम में 03 निस्तारित 03 रिहा हुए। बैठक मे जिलाधिकारी ने जनपद की शांति व्यवस्था, लंबित वादों के निस्तारण और अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की गहन समीक्षा की। और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अभियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों (पॉक्सो एक्ट) में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने निर्देश दिया कि न्यायालयों में गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि मुकदमों का निस्तारण शीघ्र हो सके।माफियाओं और शातिर अपराधियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए।पुलिस और अभियोजन अधिकारियों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा ताकि साक्ष्यों के अभाव में कोई अपराधी बच न सके। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को सक्रिय रहने के निर्देश दिए। जनपद में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी और गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु पुलिस को गश्त बढ़ाने को कहा। शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अतिक्रमण हटाने हेतु नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए। जनपद में कानून का राज स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी अपने कार्यों के प्रति लापरवाह पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर, मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं अभियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए शत-प्रतिशत पंजीकरण पर जोर

बलिया। बलिया जनपद की प्रत्येक 940 ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में कृषि विभाग, राजस्व विभाग और विकास विभाग के कर्मचारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

शुक्रवार को मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) त्रिभुवन ने राजस्व ग्राम धरहरा और जीरा बस्ती का निरीक्षण कर कृषि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य का पर्यवेक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लेखपाल, पंचायत सहायक और कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित मिले। जीरा बस्ती में 14 और धरहरा में 13 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बन चुकी थी, और अन्य किसान भी पंजीकरण करा रहे थे। सभी किसानों से शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की गई। साथ ही, राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों को लापरवाही बरतने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। सीआरओ ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य 'मिशन मोड' पर किया जा रहा है। शासन के निदेर्शानुसार, अब किसानों को किसान सम्मान निधि, गेहूं खरीद, बीज, खाद सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही दिए जाने की अपेक्षा है। इसलिए, सभी किसानों से शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने का आग्रह किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि बलिया में कुल 4,55,000 किसान हैं।

वाहन दुर्घटना के मामले में एक को सजा, 21 सौ रुपए अर्थदंड लगा

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेशचंद्र राय ने वाहन दुर्घटना के मामले में आरोपी उमेश राजभर पुत्र जगरोपन निवासी शहरोज थाना कोपागंज को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ही 2100 रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।

शराब बरामदगी के मामले में एक को सजा, 21 सौ रुपए अर्थदंड लगा

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेशचंद्र राय ने शराब बरामदगी के मामले में आरोपी त्रिलोक चौहान पुत्र स्वर्गीय चंद्रधारी चौहान निवासी मकरी थाना मुहम्मदाबाद गोहना को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ही 1500 रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

चंद्रशेखर का था जादुई व्यक्तित्व- डॉ. संजय सिंह

एसएनएच में युवा तुर्क जननायक की मनाई गई 99वीं जयंती, हुई निःशुल्क चिकित्सा

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करने वाले चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व जादुई था। अपनी कार्यप्रणाली, ओजस्वी वक्तव्य एवं सांगठनिक क्षमता के कारण वह लोगों का मन मोह लेते थे। राजनीति में अपनों के साथ विरोधियों के बीच भी उनक बड़ा सम्मान था। बलिया से निकलकर देश की राजनीति में स्थापित होने के बीच उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा किया। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से वह सदा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ संजय सिंह ने यह उदगार गुरुवार को व्यक्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 99वीं जयंती पर शारदा नारायण हास्पिटल सभागार में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वह बोल रहे थे।

मेडिकल डायरेक्टर डॉ. सुजीत सिंह ने चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके जीवन के विविध संस्मरणों को सुनाया।

कहां कि उनके पैतृक गांव में निर्मित उनके सपनों के चिकित्सालय को नई उंचाई तक ले जाने के लिए शारदा नारायण वेलफेयर ट्रस्ट प्रतिबद्ध है।

डॉ सिंह ने उनके राजनीतिक जीवन प्रसंगों को बताया। इस दौरान अस्तुपुरा और रघुनाथपुरा में 86 लोगों के शुगर व ब्लड-प्रेशर और आंख की निःशुल्क जांचकर दवाओं का वितरण किया गया। विचार सत्र के उपरांत सबने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया।

न्यूनतम वेतन के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। उत्तर प्रदेश मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव संगठन मऊ के सदस्यों द्वारा

न्यूनतम वेतन प्रतिमा 26000 की घोषणा के लिए एक प्रतिनिधित्व मंडल के साथ प्रधानमंत्री को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम कहा गया कि सरकारी कार्यवाही के अभाव में कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न अनुचित श्रम प्रथाओं का शिकार होना पड़ता है। नियोक्ता श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। नियोक्ता यूनियन नेताओं और श्रमिकों के विरोध करने के लोकतांत्रिक और कानूनी अधिकार को दबाने के लिए उनके खिलाफ झूठी पुलिस शिकायतें दर्ज कर रहे हैं।

जिलाध्यक्ष तेजप्रताप तिवारी ने कहाकि हम उत्तर प्रदेश और हरिया हरियाणा की सरकारों द्वारा नोएडा ग्रेटर नोएडा गुड़गांव तथा पूरे राजधानी क्षेत्र में मजदूरों के संघर्षों पर किए जा रहे बर-बर दमन की कड़ी निंदा करते हैं। संगठन यह मांग करता है कि सभी गिरफ्तार मजदूर एवं कार्यकताओं को तत्काल बिना शर्त रिहा किया जाए और सभी झूठे मामलों की वापसी दमन की समाप्ति और सभी अवैध हिरासतों को खत्म करने की मांग करता है साथ ही ट्रेड यूनियनों के साथ तत्काल त्रिपक्षीय वार्ता श्रम सम्मेलन का शीघ्र आयोजन पूर्ण वैधानिक लाभों के साथ 26000 रुपए न्यूनतम मजदूरी का क्रियान्वयन सख्त 8 घंटे का कार्य दिवस, ओवरटाइम भुगतान, कार्यक्रम स्थल सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठेका मजदूरों के साथ समान व्यवहार, सस्ती एलपीजी और ठेका श्रम व्यवस्था के उन्मूलन हेतु नियमितीकरण की मांग करता है चार श्रम संहिताओं को निरस्त करें और बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976 सहित मौजूद श्रम कानून को जारी रखें सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के निश्चित अवधि रोजगार पर नियुक्ति की अनुमति न दें हम आपसे तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक कार्यवाही का आग्रह करते हैं आज कार्यक्रम में यू पी एम एस आर ए मऊ के जिलाध्यक्ष तेज प्रताप तिवारी ,स्टेट लीडर पीयूष उपाध्याय, कोषाध्यक्ष आदित्य गुप्ता और अविनाश वर्मा, अजय कुमार सिंह ,अंगद सिंह सहित अन्य साथी मौजूद रहे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को किया जागरूक

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। बाल कल्याण समिति द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभिमुखीकरण के तहत बैठक का आयोजन किया गया। जिसमे भारत सरकार के अंतर्गत महिलाओं द्वारा हर क्षेत्र का नेतृत्व किया जाय उस पर चर्चा की गयी। साथ ही योजना बनाई गई कि कैसे आम महिलाओं को कैसे प्रेरित किया जाय कि वे हर क्षेत्र मे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें एवं अपने अधिकारों को जाने। इस अवसर पर हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन की टीम, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण इकाई,वन स्टॉप सेंटर ,चाइल्ड लाइन, की समस्त टीम उपस्थित रही।

साथ ही अमरवाणी स्कूल परदहा पर महिला कल्याण विभाग की हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन की टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत *पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस* तथा *अक्षय तृतीय* के अवसर पर बाल विवाह के रोकथाम हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे लोगो को अवगत कराया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर समाज मे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी का आयोजन करते हैं। यदि किसी को भी इस अवसर पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त होती की किसी स्थान पर किसी बालिका या बालक का बाल विवाह हो रहा है तो उसकी सूचना 1098 हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें। इसके साथ ही मिशन शक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम के उद्देश्य बताते हुए विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से भी अवगत कराया। साथ हि साथ विकास खंड परदहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला कल्याण विभाग की हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन की टीम व वन स्टॉप सेंटर की टीम द्वारा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया। एवं मानव श्रृंखला बनाई गई तथा मिशन शक्ति द्वितीय चरण के तहत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग की समस्त टीम तथा स्वास्थ्य विभाग से जनपद की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहीं।

श्रीराम इनसाइट द्वारा सेवा सदन स्कूल के छात्र-छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरित

बलिया , 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। भारतीय संविधान के निमार्ता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कथरिया स्थित सेवा सदन स्कूल में एक गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस अवसर पर 'श्रीराम इनसाइट शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड' द्वारा सामाजिक सरोकार निभाते हुए माँ सुरसरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित सेवा सदन स्कूल के छात्र-छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर उत्साह देखते ही बन रहा था।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीराम इनसाइट के महाप्रबंधक अवधेश कुमार सिंह ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. अम्बेडकर का जीवन संघर्ष और ज्ञान की मिसाल है, जो हमें सिखाता है कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना ही बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि शिक्षित युवा ही देश के विकास की मुख्य धारा को गति दे सकते हैं।

विद्यालय के प्रबंधक डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने श्रीराम इनसाइट कंपनी के इस सराहनीय कदम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत का शिक्षा के प्रति ऐसा जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। स्कूल परिवार की ओर से कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए उनके इस नेक कार्य को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया गया।

प्रिंसिपल सुमन सिंह के कुशल संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीराम इनसाइट के बलिया शाखा प्रबंधक दिनेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी और बृजेश सिंह ने भी अपने विचार साझा किए। इस मौके पर शिक्षिका शबाना खातून, अमृता, रूबी, दीपशिखा सिंह, किरन, अंजली पांडेय, रिया गुप्ता और प्रणिता सहित विद्यालय के समस्त कर्मचारी व भारी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

असंतुष्ट फीडबैक ज्यादा होने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई - सीआरओ

आइजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से करें निस्तारण

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएम डैशबोर्ड पर आधारित कर करेत्तर राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट सभागार में हुई। कर करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान व्यापार कर में 99.52 प्रतिशत,स्टैंप रजिस्ट्रेशन में 79.91 प्रतिशत,परिवहन कर में 85.40 प्रतिशत, आबकारी में 73.47%,चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 132 प्रतिशत सहित अन्य विभागों की स्थिति अच्छी पाई गई। सिर्फ भू राजस्व में 19.08 तथा खनन में 46.68 प्रतिशत वसूली मार्च महीने में पाई गई।समीक्षा के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी ने खनन एवं राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

अन्य राजस्व कार्यो में एमओयू मॉनिटरिंग में बी,आबकारी विभाग के उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य में सी, मंडी आय एवं आवक में सी, गन्ना मूल्य भुगतान में डी,पीएम स्वनिधि योजना में बी,राजस्व विभाग के धारा 116 कुर्रा बटवारा में सी, धारा 34 में सी, पैमाइश धारा 24 में बी स्वामित्व डैश बोर्ड में सी तथा सरकारी गैर कर राजस्व समेकित में डी ग्रेड पाई गई। मुख्य राजस्व अधिकारी ने ऐसे समस्त विभाग के अधिकारियों को जिनकी योजनाओं में सी अथवा डी ग्रेड है उनमें इस महीने सुधार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजस्व वादों में धारा 116 में सी,धारा 34 नामांतरण में सी,धारा 24 पैमाइश में बी श्रेणी पाए जाने पर उन्होंने समस्त संबंधित पीठासीन अधिकारियों को इस माह सभी धाराओं में लंबित समस्त वादों का निस्तारण करते हुए ए ग्रेड लाने हेतु विशेष प्रयास करने को कहा। आइजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान कई विभागों में संतुष्ट फीडबैक के सापेक्ष असंतुष फीडबैक का प्रतिशत ज्यादा पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने ऐसे संबंधित विभागों को संतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत 70% से ज्यादा रखने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने के साथ ही साथ शिकायतकर्ता से बात करने एवं मौके पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने ज्यादा असंतुष्ट फीडबैक वाले विभागों को चेतावनी देते हुए अगले माह तक इसमें सुधार के निर्देश दिए अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस दौरान समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

टोस नदी पुल पर बड़ा हादसाः कोयला लदा ट्रक नदी में गिरा, एक की मौत

बलिया,17अप्रैल,(देवव्रत संवाद)। शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (एनएच-31) पर फेफना और चितबड़ागांव के बीच स्थित टोस नदी पुल पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। चितबड़ागांव से फेफना की ओर जा रहा कोयला लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि एनएच-31 पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। हाल ही में कोटवा नारायणपुर और भरौली क्षेत्र में भी सड़क दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि भरौली से गाजीपुर होते हुए बलिया तक सड़क का चौड़ीकरण और समुचित मरम्मत कार्य कराया जाए, तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

जज पुष्पेन्द्र कुमार सिंह के स्थानांतरण होने पर अधिवक्ताओ ने किया स सम्मान बिदायी

रसड़ा,बलिया,17अप्रैल,(देवव्रत संवाद)।सिविल जज जूनियर डिवीजन मुंसिफ कोर्ट रसड़ा बलिया के पीठासीन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार सिंह का लखीमपुर खीरी स्थानांतरण होने पर अधिवक्ता बार एसोसिएशन रसड़ा बलिया के तत्वावधान में विदाई कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने फूल माला अंगवस्त्रम तथा कीमती कलम देकर सम्मानित किया वहीं कोर्ट के कर्मचारियों ने पेशकार संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में विदाई किया। सिविल बार एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष श्री जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के कार्यकाल में पत्रावली के अधिकता के बावजूद सभी को देख लेना और अधिकांश पत्रावली में स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद कुछ न कुछ आदेश होना यह पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य परायणता का स्पष्ट प्रमाण है। पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम चौबे ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल खटा मिठा रहा। इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी ने अपने कार्यकाल में वाद कारियों के हित सर्वोपरि समझा। तथा कुछ फाईलो मे बेहतर न्याय देने का प्रयास भी किया। किंतु गुण दोष के आधार पर फाईलों में अंतिम आदेश पारित करने में शिथिलता बरती गयी बावजूद इसके मुंसिफ कोर्ट के हम,सभी अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। मिडिया प्रभारी इन्द्र जीत तिवारी ने कहा कि पीठासीन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार सिंह का स्वभाव नारियल के समान था। बाहर से कठोर और अंदर से बहुत मुलायम स्वभाव था। वे जूनियर अधिवक्ताओं के लिए साक्षात पाठशाला थे। जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करना उनके स्वभाव में था। मैं इनके मंगलमय उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कार्यक्रम में अध्यक्ष अशोक सिंह, पंकज दूबे, प्रेम सागर सिंह, बृज विहारी सिंह, अजीत चौहान मुख्तार अंसारी बलवंत चौहान दीपक दूबे आनंद तिवारी आदि प्रमुख रहे।

गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

रसड़ा,बलिया,17अप्रैल,(देवव्रत संवाद)। पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दिनेश कुमार शुक्ला के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी रसड़ा श्री आलोक कुमार गुप्ता व प्रभारी निरीक्षक रसड़ा योगेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में थाना रसड़ा पुलिस की मिली भारी सफलता ।वादी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि मेरे पिता जी अपनी बेटी को दो बोरी गेहूँ दे दिये थे । मेरा छोटा भाई पप्पू चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान उसी गेहूँ देने की बात को लेकर पिता जी व माता जी से कलह कर रहा था । 15.04.2026 को मेरा छोटा भाई मेरे पिता जी को डन्डे से मारा जिससे उनको चोट लगी । इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी और मेरी माँ को भी मारा जिससे उनकी हाथ में काफी चोट आयी है । जिनका इलाज चल रहा है । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु टीमें लगा दी गयी थी जिसे गिरफ्तार के लिए लगी टीम 16-4-2026 गुरूवार को धड़-पकड व तलाश मे लगेमयंक कुमार अपने टीम के साथ मुखवीर की सूचना पर मु॰अ॰सं॰105, 115(2) बीएनएस में बांछित अभियुक्त पप्पू चौहान पुत्र महेंद्र चौहान 32वर्ष निवासी नाथूपुर को रविदास मंदिर लोहटा 4,30बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया।

मारपीट के मामले में एकही परिवार के 6 लोगों को तीन वर्ष की सजा

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉं. कृष्ण प्रताप सिंह ने मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने,गाली, धमकी और नुकसान करने के मामले में नामजद एकही परिवार के 6 आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के आरोपीगण कोतवाली घोसी क्षेत्र के बैरासी निवासी कलयुग गिरी उर्फ.शेषनाथ पुत्र जीउत गिरी, संजय गिरी पुत्र रामकरन गिरी, विभूति गिरी पुत्र वंशराज गिरी, सवरू पुत्र राजकुमार शेरु गिरी पुत्र राजकुमार और जीउत गिरी पुत्र वंशराज गिरी को तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 6-6 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी हरेन्द्र सिंह ने पैरवी किया। वहीं गवाहों को कोर्ट में पेश करने में न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती का सराहनीय योगदान रहा।

हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने हत्या के मामले में नामजद आरोपी छट्ठू राजभर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार सरायलखंसी थाना क्षेत्र के मठ मुहम्मदपुर गांव निवासिनी रमवती देवी पत्नी सुब्बचन उर्फ गेडी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि एक फरवरी 26 की शाम को खाना खाकर उसके पति से सुबच्चन उर्फ गेडी सोने के लिए गए थे। दूसरे दिन ट्यूबवेल के पास अमरुद के बगीचे में उनका शव मिला। धारदार हथियार से काटकर उनकी हत्या की गई थी। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के सिगाड़ी गांव निवासी छट्ठू राजभर उर्फ रोहित पुत्र कन्हैया राजभर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

नवागत न्यायिक अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया

मऊ, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर नवागत न्यायिक अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी/ एसटी के पद पर अनिल कुमार वर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। वहीं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के पद पर छागुर राम ने कार्यभार ग्रहण किया। तथा प्रमोद कुमार राम ने अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कोर्ट नंबर दो के पीठासीन अधिकारी का पद पर ग्रहण किया। वहीं रजत कुमार यादव ने सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर तथा प्रीति यादव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का कार्यभार ग्रहण किया।

कलेक्ट्रेट में युवक ने खुद पर तेल छिड़का

बलिया। बलिया कलेक्ट्रेट में शुक्रवार दोपहर बाद उस समय हड़कंप मच गया, जब दोषी चिकित्सकों की गिरफ्तारी न होने से नाराज एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। युवक ने अपने शरीर पर तेल उड़ेल लिया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे रोक लिया।यह घटना अपूर्वा नर्सिंग होम में पथरी के ऑपरेशन के दौरान अनीषा की मौत से जुड़ी है। अनीषा के पति शिवांशु राय ने दोषी चिकित्सकों की गिरफ्तारी न होने पर 17 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी।चेतावनी के बाद सुबह से ही कलेक्ट्रेट पर सख्त पहरा था और आने-जाने वाले लोगों की गहनता से चेकिंग की जा रही थी। इसके बावजूद, शिवांशु राय पुलिस के पहरे को चकमा देकर परिसर में पहुंच गए और अपने शरीर पर तेल डालना शुरू कर दिया।

20 हजार की रिश्वत लेते दरोगा को रंगेहाथ एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा

सरायमीर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने मुकदमे से नाम हटाने के बदले मांगे थे एक लाख

फूलपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरायमीर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गागेपुर गांव निवासी अवनीश राय ने एंटी करप्शन यूनिट को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि संबंधित दरोगा एक मुकदमे से नाम हटाने के बदले एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। पीड़ित ने बताया कि दरोगा द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। टीम ने पीड़ित को केमिकल लगे नोट उपलब्ध कराए और पूर्व निर्धारित योजना के तहत उसे दरोगा को रिश्वत देने भेजा। जैसे ही सब इंस्पेक्टर ने 20 हजार रुपये की पहली किश्त ली, पहले से घात लगाए बैठी टीम ने

तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी दरोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जनपद में पूर्व में भी कुछ पुलिसकर्मियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी शिकायतें उच्चाधिकारियों तक पहुंच रही थीं। ऐसे में यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से आम जनता का कानून व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

छात्रों से निजी काम करवाना पड़ा भारी, प्रधानाध्यापक निलंबित

सगड़ी, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। अजमतगढ़ क्षेत्र स्थित पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय (प्रथम) में छात्रों से निजी कार्य करवाने और अन्य अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने प्रधानाध्यापक अवधेश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला उस समय सामने आया जब 10 अप्रैल 2026 को एक वायरल वीडियो और समाचार रिपोर्ट में यह उजागर हुआ कि विद्यालय में छात्र–छात्राओं से सफाई, निजी कार्य और सामान ढुलवाने जैसे गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे थे। इसके साथ ही मध्यान्ह भोजन को बाहर चूल्हे पर बनाए जाने और वित्तीय अनियमितताओं की भी शिकायत मिली थी। बीएसए कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 13 अप्रैल को प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की गई। जारी आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है और शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत है। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा तथा उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अजमतगढ़ से संबद्ध किया गया है। साथ ही मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी हरैया को सौंपी गई है, जिन्हें निर्देश दिया गया है कि आरोप पत्र तैयार कर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ट्रैक्टर-ट्रॉली को बचाने में पलटा टैंकर सड़क पर फैला शीरा, चालक गंभीर

सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ चौराहे पर हुआ हादसा

सठियांव, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ चौराहे पर शुक्रवार भोर करीब 4 बजे शीरा लदा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर–ट्रॉली को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। हादसे में टैंकर चालक गोपाल यादव (निवासी गोरखपुर) गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, टैंकर सठियांव स्थित सहकारी चीनी मिल से लगभग 36 टन शीरा लोड कर चंदौली स्थित गोदरेज कंपनी जा रहा था। शाहगढ़ चौराहे पर पहुंचते ही चालक नियंत्रण खो बैठा और टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने से शीरा मुख्य मार्ग पर फैल गया, जिससे फिसलन के कारण कई बाइक सवार गिरकर चोटिल भी हुए।

घटना की सूचना पर सर्किल निरीक्षक प्रभु नारायण सिंह व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और यातायात सुचारू रखने के लिए शीरा को सड़क से साफ कराया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा–तफरी का माहौल रहा, हालांकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनायेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम

आजमगढ़, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 का विकसित भारत /2047 में योगदान" विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, लैंगिक समानता एवं समावेशी विकास पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. संजीव कुमार द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। एलएलएम की छात्रा निष्ठा सिंह ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह, पौधा एवं अंगवस्त्र देकर किया गया। मुख्य वक्ता डॉ. पंकज सिंह ने इसे सामाजिक परिवर्तन की सशक्त पहल बताया, वहीं विशिष्ट वक्ता डॉ. मनमोहन विश्वकर्मा ने इसके क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों पर

चर्चा की। कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने कहा कि यह अधिनियम लोकतंत्र को अधिक सशक्त एवं समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर निबंध, कहानी लेखन एवं भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। भाषण प्रतियोगिता में निखिल लाल पटेल प्रथम, प्रीति उपाध्याय द्वितीय तथा प्रज्ञा चौबे तृतीय स्थान पर रहीं। निबंध लेखन में सुमित विश्वकर्मा प्रथम एवं शिवाशीष सैनी द्वितीय स्थान पर रहे। कहानी लेखन में प्रतीक्षा यादव प्रथम, श्रीकेश यादव द्वितीय एवं पूजा प्रजापति तृतीय स्थान पर रहीं।

चंद्रशेखर अन्याय के सामने झुककर कभी नहीं किये समझौता

'प्रेरणा दिवस' के रूप में मनी पूर्व पीएम की 99वीं जयंती

जहानागंज, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। क्षेत्र के रामपुर स्थित श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 99वीं जयंती शुक्रवार को 'प्रेरणा दिवस' के रूप में श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ मधुबन क्षेत्र के विधायक रामविलास चौहान ने चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान "चंद्रशेखर जी अमर रहें" जैसे नारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। इसके पश्चात एमएलसी विक्रांत सिंह रिशु, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, प्रमुख रमेश कनौजिया, उदय शंकर चौरसिया, अरविंद सिंह, अरुण सिंह, विजय बहादुर सिंह, स्वतंत्र सिंह मुन्ना, अशोक पांडेय सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए विधायक रामविलास चौहान ने कहा कि चंद्रशेखर

का जीवन संघर्षों से भरा रहा और उन्होंने कभी भी अन्याय के सामने झुककर समझौता नहीं किया। आपातकाल के दौरान भी उन्होंने निर्भीक होकर अपनी आवाज उठाई, जिससे उन्हें "युवा तुर्क" के रूप में पहचान मिली। एमएलसी विक्रांत सिंह रिशु ने कहा कि चंद्रशेखर ने अपने पूरे जीवन में सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और उनका जीवन आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर ट्रस्ट प्रबंधक बृजेश कांदू, अनिल सिंह, शिव प्रकाश चौबे, आनंद गुप्ता, लालबहादुर सिंह, चंचल चौबे, राकेश सिंह, टिंकू जायसवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रियंबदा सिंह तथा संचालन कमलेश राय ने किया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि चंद्रशेखर के विचार आज भी समाज और राजनीति को दिशा देने में प्रासंगिक हैं और उनके आदर्शों पर चलकर ही मजबूत व न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव है।

9 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

आजमगढ़, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 09 मई 2026 को जनपद न्यायालय सहित सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रभारी सचिव अनुपम कुमार त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जय प्रकाश पाण्डेय के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत व जल बिल विवाद, सेवा व सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामले, राजस्व वाद सहित अन्य सिविल वादों का निस्तारण आपसी सुलह– समझौते के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकरण ने वादकारियों से अपील की है कि वे अपने संबंधित न्यायालयों से संपर्क कर अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

एम ए सेंट्रल पब्लिक स्कूल का शत–प्रतिशत परिणाम, मेधावियों का हुआ सम्मान

सठियांव, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। शिक्षा क्षेत्र सठियांव के जमुड़ी स्थित एम ए सेंट्रल पब्लिक स्कूल के छात्र–छात्राओं ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए शत–प्रतिशत परिणाम हासिल किया। इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार, अभिभावकों एवं छात्रों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर शुक्रवार को विद्यालय परिसर में मेधावी छात्र–छात्राओं के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। परीक्षा परिणाम में सोनाक्षी सोनी ने 97.6% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वैभव यादव (93.4%) द्वितीय, शिवांगी यादव (92.8%) तृतीय, विनायक मिश्रा (92.4%) चतुर्थ तथा अरीशा अरशद (91.4%) पंचम स्थान पर रहीं। इसके अलावा तान्या राज, कृष्णा सिंह, मोहम्मद रेहान, कृष्णा चौहान, खुशबू यादव, मुस्कान मौर्य, नितिन यादव, कायनात, वकार, अयाज व पल्लवी शर्मा सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के प्रबंधक नदीम अहमद ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि छात्रों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के साथ–साथ संस्कारों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वहीं कोऑर्डिनेटर सैय्यद असरार अहमद ने कहा कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने पर भी विशेष बल दिया जाता है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सोनाक्षी सोनी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता–पिता एवं विद्यालय परिवार को दिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मोहम्मद असअद, डायरेक्टर अशरफ जमाल, मनीष शर्मा, प्रिया यादव, यास्मीन खान, संजय श्रीवास्तव, भूपेश गुप्ता सहित अन्य शिक्षक–शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे। समारोह का माहौल उत्साह, गर्व एवं प्रेरणा से परिपूर्ण रहा।

जनगणना 2027 के लिए प्रशिक्षण शुरू प्रगणकों को दिए गए आवश्यक निर्देश

फूलपुर, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। भारत की जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण के कार्यों के लिए प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण गुरुवार से शुरू हो गया। तहसील स्तर पर यह प्रशिक्षण कस्बा स्थित फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एवं एलपीजी इंटर कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, जो शुक्रवार को भी जारी रहा।

प्रशिक्षण के दौरान एसडीएम अशोक कुमार एवं तहसीलदार राजीव कुमार ने कहा कि जनगणना विकास योजनाओं की रीढ़ है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी एवं शत–प्रतिशत डिजिटल माध्यम (सीएमएमएस पोर्टल) से पूरा किया

जाए। अधिकारियों ने बताया कि प्रथम बैच का प्रशिक्षण 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा, जबकि द्वितीय बैच 20 से 22 अप्रैल एवं तृतीय बैच 23 से 25 अप्रैल तक आयोजित होगा। इन प्रशिक्षण सत्रों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 21 मई से 20 जून तक प्रगणक घर–घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे। साथ ही आमजन से अपील की गई कि वे स्व–गणना पोर्टल के माध्यम से घर बैठे भी पंजीकरण कर सकते हैं। इस अवसर पर फील्ड ट्रेनर मान बहादुर सिंह, धर्मेंद्र यादव, जगदंबा, रामपाल, राम प्रताप, रामनवल, राजेश, अजय, हरिकेश सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना से कारीगरों को मिलेगा रोजगार, दस लाख तक ऋण की सुविधा

आजमगढ़, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा कुम्हारों, पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पियों के समन्वित विकास के लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना संचालित की जा रही है। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत इच्छुक आवेदक वर्कशेड, मशीन, उपकरण, भट्ठी एवं कच्चे माल के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें 95 प्रतिशत धनराशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में तथा 5 प्रतिशत अंशदान आवेदक को स्वयं देना होगा। वहीं, टर्म लोन की 25 प्रतिशत राशि माटीकला बोर्ड द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। योजना के अंतर्गत माटीकला से जुड़े विभिन्न कार्य जैसे खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के बर्तन (घड़ा, सुराही, कुल्हड़, कप, प्लेट आदि), भवन निर्माण सामग्री (टाइल्स, वॉश बेसिन आदि) एवं सजावटी सामान (गमले, लैम्प आदि) के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से व्यक्तिगत इकाइयों के लिए है, जिससे कारीगरों को वित्तीय सहायता मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। इससे उनके ऊपर आर्थिक भार कम होगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसे माटीकला से संबंधित प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र या पारंपरिक अनुभव होना आवश्यक है। इच्छुक अभ्यर्थी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन upmatikalaboard.in के माध्यम से कर सकते हैं तथा आवेदन की हार्डकॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, सिधारी में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7408410762 पर संपर्क किया जा सकता है।

छात्राओं को व्यक्तिगत एवं मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

आजमगढ़, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। मिशन शक्ति फेज 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, सठियांव में बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी के निर्देश एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में हब फॉर इम्पावरमेंट टीम द्वारा संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। श्रीमती अन्नू सिंह ने बालिकाओं को मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए स्वच्छता, आत्मविश्वास और स्वाभिमान का महत्व समझाया। वहीं श्रीमती प्रीति उपाध्याय ने बाल विवाह

रोकथाम के संबंध में जानकारी देते हुए 1090, 181, 112 और 108 जैसे हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया और जरूरत पड़ने पर इनके उपयोग के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय की समस्त अध्यापिकाएं एवं हब फॉर इम्पावरमेंट टीम के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्राओं में जागरूकता और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

आजमगढ़, 17 अप्रैल (देवव्रत संवाद)। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषयक सम्मेलन व प्रेस वार्ता का आयोजन नेहरू हॉल में भव्य व सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जनपद की प्रतिष्ठित महिला चिकित्सकों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, समाजसेवियों एवं महिला अधिकारियों ने भाग लेकर अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि यह आयोजन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रचार–प्रसार एवं जन–जागरूकता के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में चल रहे विशेष सत्र के साथ ही जनपद स्तर पर भी इस अधिनियम को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. ज्योत्सना द्विवेदी ने इसे समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं

डीएवी पीजी कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. गीता सिंह ने कहा कि इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की भूमिका सशक्त होगी। समाजसेवी विभा बरनवाल ने अधिनियम की संवैधानिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए इसे ऐतिहासिक बताया, जबकि शिक्षाविद डॉ. ऋतम्भरा ने कहा कि यह समय की मांग है कि नारी शक्ति देश के नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभाए। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। अंत में जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से महिलाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, छात्राएं एवं बड़ी संख्या में मातृ शक्ति उपस्थित रहीं।

उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़

ई-निविदा आमंत्रण की सूचना दिनांक 17.04.2026

निविदा संख्या एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण

1. अल्पकालीन ई–निविदा सं. 01/वि.प्रे.मं.(आ)/2026–27, विद्युत प्रेषण खण्ड आजमगढ़ के अन्तर्गत क्रियाशील 132 के.वी. उपकेन्द्र, अतरौलिया के 220 के.वी. विभव पर उच्चीकरण हेतु लाइन के सर्वे का कार्य। निविदा मूल्य–रु. 590.00, धरोहर धनराशि 4000.00

अंतिम तिथि–अल्पकालीन ई–निविदा सं. 01/वि.प्रे.मं.(आ)/2026–27, दिनांक 04.05.2026 समय 14:00 बजे तक।

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएँ वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जायेगी।

'स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचावें'

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत प्रेषण मण्डल
उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन
लिमिटेड हाफिजपुर, आजमगढ़

पत्रांकः 306/वि.प्रे.म. (आ.)/निविदा/ दिनांक 17.04.2026